वार्षिक रिपोर्ट

2019-2020

विनियामक मंच
FORUM OF REGULATORS

विनियामक फोरम

वार्षिक रिपोर्ट
2019-20

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ),
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91–11–23753920
फैक्सः +91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2019–20 के दौरान, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर आगे बढ़ने के लिए सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पर्याप्त उपाए किए और विद्युत क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का परीक्षण किया।

फोरम ने सौर पीवी प्रणाली का प्रयोग करते हुए 33केवी से नीचे के विद्युत प्रणाली में विद्युत के लिए ग्रिड पारस्परिक वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए मॉडल विनियम प्रकाशित किए (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या समय–समय से आयोग द्वारा अनुमोदित नवीकरणीय स्रोतों के इस प्रकार के अन्य रूप। फोरम ने अंतःराज्यिक अनिवार्य विश्वसनीयता सेवा प्रचालन विनियम के लिए ड्राफ्ट जारी किया। इन विनियमों का उद्देश्य राज्य में मांग और पूर्ति में संतुलन लाना है और अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में संकुलता को मुक्त करना है तथा रिज़र्व को शामिल करते हुए विद्युत के प्रेषण को अधिकतम करना है।

फोरम ने एसबीडी की विभिन्न श्रेणियों के सृजन के लिए तार्किकता के परीक्षण को समझने के लिए कार्यदल का गठन किया और यह परीक्षण किया कि क्या अल्प एवं मध्यकाल को फारवर्ड कांट्रेक्ट किया जा सकता है अथवा नहीं।

फोरम ने राज्य स्तर और संबद्ध विषयों पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण एवं डीएसएम फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर केन्द्रित करने के प्रयोजन के लिए और गैर नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों के लिए राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन पर केन्द्रित करते हुए केविविआ के तकनीकी सदस्य की अध्यक्षता में तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया। पुनर्गठित तकनीक समिति ने कोविड–19 के कारण लॉकडाउन के आरंभ से पूर्व तीन बैठकें की।

वर्ष के दौरान फोरम ने अध्ययन आरंभ किए और संबंधित सौर पीवी ग्रिड के लिए लेखा फ्रेमवर्क एवं मीटरिंग विनियम, वितरण में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा, योग्य समन्वयकारी एजेंसी के विषयों पर रिपोर्ट, अंतःराज्यिक रिजर्व तथा संतुलन के लिए सहायक सेवाओं पर रिपोर्ट को शामिल करते हुए रिपोर्ट तैयार की।

फोरम द्वारा की गई पहलों की पृष्ठभूमि में, प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अध्ययनों की सिफारिशों को अपनाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों / संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. **विनियामक फोरम के बारे में (एफओआर)** 7

2. **विनियामक फोरम की गतिविधियां** 9

2.1 विनियामक फोरम की बैठकें 9

12 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 67वीं बैठक 9

20 जून, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 68वीं बैठक 10

20 सितंबर, 2019 को अमृतसर, पंजाब में आयोजित एफओआर की 69वीं बैठक 10

31 जनवरी, 2020 को दीव में आयोजित एफओआर की 70वीं बैठक 12

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 13

वितरण क्षेत्र में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा 13

राज्य स्तर पर रिज़र्व एवं सहायक सेवाओं पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट (संतुलन 13

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14

सिडनी आस्ट्रेलिया में 27 – 29 नवंबर, 2019 को विद्युत विनियामक आयोगों के आयुक्तों के लिए द्वितीय वैश्विक विनियामक परिदृश्य कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय निम्नानुसार है 14

आईआईटी कानपुर में 7–9 जनवरी, 2020 को टैरिफ तकनीक एवं उपभोक्ता पसंद – विद्युत क्षेत्र में उभरते हुए विनियामक विषयों पर विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए 13वां क्षमता निर्माण कार्यक्रमः 14

30–31 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में सीजीआरएफ एवं ओमब्डसमैन के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए विषय निम्नानुसार है 14

3. 2019–20 के दौरान (केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी) विनियामक फोरम के विनियामक निकायों के सदस्यों की उपलब्धियां) 15

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 15

असम विद्युत विनियामक आयोग 17

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 18

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

बिहार विद्युत विनियामक आयोग 18

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 19

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग 19

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 19

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 20

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्य प्रदेश) 20

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम) 20

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग 21

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग 22
मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 22
मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22
नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग 23
ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग 23
पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग 23
सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग 24
त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग 24
तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग 24
तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग 24
उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 24
उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग 25
पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग 25
4. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की स्थिति 26
5. केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची 27
6. वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा 29
अनुबंध – I 48
सीईआरसी द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ
अनुबंध – II 56
एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी टैरिफ आदेशों की समयबद्धता
अनुबंध – III 59
सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली 60

1 विनियामक फोरम के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विद्युत विनियामक आयोगों को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों (विविआ) को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब 1998 के अधिनियम को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम की शुरुआत से विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को 2003 के अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था। फोरम में केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों एवं संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। केविविआ के अध्यक्ष, फोरम के अध्यक्ष हैं।

केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाए है:–

❖ फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

❖ फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;

- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;
- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोंर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

❖ फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

❖ मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार है:–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 फोरम की गतिविधियाँ

2.1 एफओआर की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान सात बैठकें आयोजित कीं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

12 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एफओआर की 67वीं बैठक

- वित्तिय वर्ष 2019–20 के लिए प्राक्कलित व्यय एवं प्रत्याशित आय को दर्शाते हुए विनियामक फोरम के बजट पर फोरम द्वारा विचारविमर्श किया गया। उसके बाद फोरम ने बजट को अनुमोदित किया।
- बिहार विद्युत विनियाम आयोग के अनुरोध के अनुसार डीईईपी ई–बोली पोर्टल पर विद्युत प्राप्ति के लिए अल्प/मध्यकालिक बोली पर प्रस्तुति मैसर्स पीएफसीसीएल और मैसर्स एमएसटीसीएल द्वारा की गई। फोरम ने प्रस्तुति की सराहना की।
- फोरम को विनियामक फोरम और राष्ट्रीय विनियामक न्यूट्रिलिटी कमिश्नर एसोसिएशन के बीच मौजूदा एमओयू पर संक्षिप्त किया गया और कांट्रेक्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों पर अध्ययन किए गए। अध्ययन से अगली बाजार मॉडल में पारेषण के माध्यम से कांट्रेक्ट पद्धतियों और विधिक कांट्रेक्ट के संव्यवहार पर यूएस अनुभवों को समझने में मदद होगी।
- विद्युत मंत्रालय से निम्नलिखित संदर्भों पर विचारविमर्श किया गया:
  - क. कोयला आधारित विद्युत केन्द्र के लिए 55 प्रतिशत यूनिट क्षमता के एकसमान तकनीक न्यूनतम स्थितियों का कार्यान्वयन।
  - ख. पीपीए के अनुबंधों के अनुसार डिस्कॉम द्वारा भुगतान में विलंब के लिए विलंब भुगतान अधिभार के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विनियामक।

20 जून, 2019 को रांची, झारखंड में आयोजित एफओआर की 68वीं बैठक

- फोरम को सूचित किया गया कि फोरम की 66 वीं बैठक में लिए निर्णय के अनुसरण में विनियामक फोरम की स्थायी तकनीकी समिति को पुनर्गठित किया गया है जिसमें श्री आई.एस. झा, सदस्य केविविआ की अध्यक्षता में दो ग्रुपों को शामिल किया गया।

  जीईआरसी, एमईआरसी, टीएनईआरसी, केईआरसी, आरईआरसी, एपीईआरसी, एचपीईआरसी, के/अध्यक्ष/सदस्य – सीएमडी पोसोको, आरए प्रभाग के प्रधान, सदस्यों के रूप में केविविआ और आरए प्रभाग, केविविआ के प्रधान सदस्यों के रूप में। ''नवीकरणीय ऊर्जा समेकन एवं संबद्ध मामले'' के विषय पर

  और

  पीएसईआरसी, यूपीईआरसी, बीईआरसी, डब्ल्यूबीईआरसी, केएसईआरसी, एईआरसी, सीएमडी पोसोको, आरए प्रभाग केविविआ के प्रधान इसके सदस्यों के रूप में ''राज्य स्तर पर एबीटी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन'' विषय पर
- बीईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचारविमर्श किया गया,

क) उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की संगतता : फोरम ने महसूस किया कि शिकायत निवारण के लिए राजय सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम उपभोकताओं के हित में है और इसलिए स्वागत योग्य है। तथापि राज्य सरकार एवं सीजीआर द्वारा लाया गया यह अधिनियम फ्रेमवर्क के रूप में जारी रह सकता है और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना है। तथापि सीजीआरएफ तंत्र को सुदृढ़ करने तथा इसे सरल संपर्क योग्य और प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त एजेंसियों द्वारा सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

ख) उपभोक्ता परामर्श: फोरम ने उचित कार्रवाईयों के दौरान अपने विचारों के लिए उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के विषयों पर विचार किया। फोरम को सूचित किया गया कि ''विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण'' से संबंधित अध्ययन आरंभ करने की प्रक्रिया'' की शुरूआत की गई है।

- मणिपुर और मिजोराम राज्य सरकारों द्वारा निधियों के अंतरण के लिए त्रिपक्षीय करार के गैर अनुपालन पर जेईआरसी (एमएण्डएम) से संदर्भ प्राप्त किए गए।

फोरम ने नोट किया कि जेईआरसी (एमएण्डएम) के अलावा एनईआरसी निधियों की गैरउपलब्धता के मुददे का सामना करा रहा है। फोरम ने अनुभव किया कि यह विषय विद्युत मंत्रालय के संबंधित ईआरसी द्वारा उठाया जाए।

- फोरम ने ''वितरण में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा'' पर अध्ययन आरंभ किया। मैसर्स डिलायट को फोरम की सहायता के लिए अध्ययन हेतु खुली बोली की प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया। अध्ययन का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र (दस राज्यों तक सीमित) निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा/विश्लेषित करना था और निर्बाध पहुंच को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का पता लगाना था। सदस्यों को कार्यवृत्त जारी करने के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया ताकि उसे अंतिम रूप दिया जा सके और/बैठक में फोरम को प्रस्तुत किया जा सके।
- अंरराज्यिक उत्पादन केन्द्र (पैन इंडिया) और उनके अनुभव में एससीईडी के कार्यान्वयन पर पोसोको द्वारा एक प्रस्तुति की गई। फोरम ने इस प्रस्तुति की सराहना की।
- हाल ही में अधिसूचित किए गए भारतीय लेखा मानक और टैरिफ में पूंजी लागत पर इसका प्रभाव पर एक प्रस्तुति एनटीपीसी के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई। फोरम ने प्रस्तुति को नोट किया।
- सचिव एमएनआरई ने फोरम की बैठक में भाग लिया और आरई उत्पादन के विकास के लिए एमएनआरई द्वारा की गई नीतिगत पहल के संबंध में अपने सतत प्रोत्साहन के लिए फोरम को अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने प्रतियोगी बोली, एफएण्डएस विनियमों को अधिसूचित करना, निर्बाध पहुंच और बैंकिंग मानदण्डों को सरल बनाना, प्रोत्साहनकारी सौर/ग्रिड संबद्ध सौर पम्प परियोजनाओं के लिए फ्रेमवर्क का सृजन, पांच मेगावाट सौर एवं 25 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ में फीड का निर्धारण, एफआईएफओ के सिद्धांतों द्वारा अधिशासित भुगतान को सरल बनाना, आरपीओ ट्राजेक्टरी जैसे विषयों पर विचारविमर्श किया। फोरम ने पाया कि उचित उपाय राज्यों में आरई की उपलब्धता की चिंता करते हुए, डिस्कॉम की वित्तीय दुरुस्तता, सभी स्टेकहोल्डरों के हित तथा अंतिम उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आरई उत्पादन के विकास के लिए संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा किए जाते हैं।
- माननीय विद्युत राज्य मंत्री, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कुशलता विकास और उद्यम ने कार्यवाहियों में शामिल हुए और अपने आरंभ के दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि विनियामक सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा विद्युत क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। उन्होंने यह पाया कि विद्युत क्षेत्र इस क्षेत्र को उत्तरदायी बनाने का उद्देश्य रहा। तथापि इस अवधि में डिस्कॉम ने अपनी वित्तीय दुरुस्तता डीडीजीवाई, आईपीडीएस, उदय इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से आवधिक आधार पर वित्तीय सहायता में सुधार नहीं किया। विनियामकों को विगत से सीखते हुए भविष्य के लिए दृष्टि विकसित करनी चाहिए और उपभोक्ताओं के लिए सेवा को विश्वसनीय बनाने के लिए क्षेत्र को सुगम बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वितरण यूटिलिटी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार क्षेत्र के लाभ के लिए कई नीतिगत हस्ताक्षेपों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

अमृतसर पंजाब में 20 सितंबर, 2019 को आयोजित एफओआर की 69वीं बैठक

- फोरम को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षित खातों मुख्य विशेषताओ पर अद्यतन किया गया जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षित खातों को अनुमोदित किया गया।
- फोरम को आयकर अधिनियम की धारा 10(46) के अधीन फोरम के लिए छूट की मांग करते हुए और सीपीडीटी के अध्यक्ष के साथ केविविआ/एफओआर के अधिकारियों द्वारा फॉलोअप के संदर्भ में आईटी प्राधिकारियों के साथ सतत पत्राचार को अद्यतन किया गया। फोरम को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए समीक्षा निर्धारण पर अद्यतन किया गया और 25.03 रुपयों की लागत की मांग और छूट प्रमाणपत्र को प्रस्तुत न करने पर 21.70 लाख रुपये के दण्ड को सौंपा गया। फोरम ने नोट किया और एफओआर सचिवालय को उसके शीघ्र समाधान के लिए आईटी प्राधिकारियों को अनुपालन के लिए निर्देश दिया।
- फोरम को सूचित किया गया कि एफओआर में अध्ययनों के लिए अतिरिक्त प्रस्तावों के कारण, फोरम का अनुमोदन 1लाख से 3.23 लाख रुपये तक के विज्ञापन खर्चों के लिए एफओआर के बजट को संशोधित करने की मांग की। फोरम ने उसका अनुमोदन प्राप्त किया।
- फोरम को वर्ष 2013–14–15 में एफओआर की कार्यशालाओं और बैठकों के लिए हाल की बुकिंग के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली से प्रतिभूति जमा के लिए प्राप्ति योग्य रकम के बारे में सूचित किया। यह भी अद्यतन किया गया कि सांविधिक लेखा परीक्षकों की सिफारिशों के अनुसार 18,200 रुपये की कुल रकम बट्टे खाते में डाली गई चूंकि वह वसूली योग्य नहीं है। इस संबंध में उसे प्रभावित करने के लिए प्रस्ताव फोरम द्वारा अनुमोदित किया गया।
- फोरम को सूचित किया गया कि चूंकि यह निर्णय एफओआर से किसी सचिवालय लागतों का संग्रहण न करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 में केविविआ

द्वारा लिया गया था। अतः केविविआ पर सदस्यता इनवॉयस 2018–19 में नहीं किया जा सकता। फोरम के अनुमोदन से इस वित्तीय वर्ष अर्थात 2019–20 में केविविआ के सदस्यता फीस इनवॉयस (वित्तीय वर्ष 2018–19 से संबंधित) का निर्णय लिया गया।

- एफओआर को सूचित किया गया कि प्रत्येक वर्ष एफओआर भारत सरकार से योजना सहायता के साथ एसईआरसी/जेईआरसी के अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है और फोरम की अपनी निधियों के साथ एसईआरसी के अध्यक्षों/सदस्यों के लिए वैश्विक परिदृश्य कार्यक्रम आयोजित करता है। एफओआर सचिवालय ने आईआईटी कानुपर और एफओआर के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अंतर्गत आईआईटी कानपुर, ऊर्जा विनियम केन्द्र के साथ सिडनी, आस्ट्रेलिया में 27–29 नवंबर, 2019 में 20 प्रतिभागियों के लिए दूसरा वैश्विक विनियामक परिदृश्य कार्यक्रम आयोजित करने की योजना की।
- फोरम को केईआरसी, एपीईआरसी, पोसोको और एफओआर सचिवालय से प्रतिनिधित्व सहित अध्यक्ष केरल एसईआरसी की अध्यक्षता में गठित एफओआर तकनीकी समिति के उपसमूह के बारे में सूचित किया। उपसमूह को विद्युत प्रणाली के अंदर क्यूसीए/प्रचालनों के विषयों के परीक्षण का अधिदेश दिया गया और राज्यों द्वारा अपनाने के लिए अनुकूल सिफारिशें करने के लिए कहा गया। फोरम ने व्यापाक ढंग से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए पूर्वानुमान एवं अनुसूचीकरण के लिए कार्यान्वयन फ्रेमवर्क और क्यूसीए से संबद्ध विषयों के लिए रिपोर्ट लाने के लिए स्थीय तकनीकी समिति और परामर्शदाता द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। विचारविमर्श के बाद फोरम ने सहमत बिंदुओं पर रिपोर्ट को पृष्ठांकित किया।
- फोरम को ''वितरण में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा'' पर आरंभ की गई एफओआर के अध्ययन में सूचित किया गया और यह अध्ययन रिपोर्ट 20.6.2019 को नई दिल्ली में एफओआर की 68वीं बैठक में प्रस्तुत की गई। विचार विमर्श के बाद फोरम ने अपने सदस्यों के विचारों को जानना चाहा और इसके अनुसार रिपोर्ट को संशोधित किया गया। इसके उत्तर में केईआरसी, टीएनईआरसी और ओईआरसी से टिप्पणियां प्राप्त की गई। फोरम को सूचित किया गया कि यह रिपोर्ट अभिशंसात्मक किस्म की है जो लक्षित राज्यों में निर्बाध पहुंच पर अद्यतन स्थिति के कारण है। जैसा कि तीन एसईआरसी से प्राप्त टिप्पणियों से पता चलता है कि वे रिपोर्ट की सिफारिशों के साथ हैं और इस प्रकार अंतिम रिपोर्ट किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार, फोरम ने विचारविमर्श के बाद रिपोर्ट को स्वीकार किया और अंगीकार किया।
- अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल ईआरसी ने फोरम के नोटिस में लाया कि यद्यपि भारत सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से मध्यकालिक विद्युत के संशोधित मार्गनिर्देशों को प्रकाशित किया है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए 11 श्रेणियों का चुनाव किया है, निम्नतम संभावित टैरिफ पर आने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। विचार विमर्श के बाद फोरम ने निम्नानुसार निर्णया किया।

✓ तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित पश्चिम बंगाल के ईआरसी, अध्यक्ष की अध्यक्षता के अधीन एफओरआर का कार्यदल गठित किया जाएगा जो इन श्रेणियों के सृजन के लिए सृजन की तार्किकता का परीक्षण करेगा जो प्रतियोगिता को नियंत्रित करा रहा है।

✓ ग्रुप अल्पकालिक कांट्रेक्ट/फारवर्ड कांट्रेक्ट सहित मध्यकालिक कांट्रेक्ट के प्रतिस्थापन के लिए आवश्यकता का परीक्षण करेगा।

- अध्यक्ष यूपीईआरसी ने रिटेल टैरिफ पर बढ़े हुए आरपीओ के प्रभाव पर प्रस्तुती दी। विचार विमर्श के अंत में फोरम ने निर्णय लिया कि एफओआर की स्थायी तकनीकी समिति निम्नलिखत विषयों पर विचार विमर्श कर सकती है:
  - क. सभी लागत घटकों पर विचार करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा समेकन की सही लागत को मूल्यांकित करना
  - ख. ग्रिड स्टोरेज बनाम बैटरी स्टोरेज में तकनीक के उपयोग के लिए परिदृश्य का परीक्षण करना।
  - ग. भावी ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन उपयोग की समीक्षा करना।
  - घ. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विनियामक फ्रेमवर्क तैयार करना।
- अध्यक्ष जीईआरसी ने बताया कि उत्पादन के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की इनफर्म किस्म पर विचार करते हुए उन्हें अधिशेष विद्युत के अंतःक्षेपण की अनुमति है जिन्हें डिस्काम को बिक्री के रूप में माना जाता है। तथापि इस प्रकार के अधिशेष विद्युत के लिए अदा की जाने वाली दर डिस्काम को समर्पित क्षमता की आपूर्ति करते हुए अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागू टैरिफ के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता है।
- फोरम को सूचित किया गया कि एफओआर ने ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर ड्राफ्ट मॉडल विनियमों में विभिन्न विकल्पों की पहले ही सिफारिश की है और इस प्रकार एसईआरसी इस विषय का पता लगाने के लिए मॉडल विनियमों के साथ अपने विनियमों को संशोधित कर सकता है। फोरम ने इसे नोट किया है।
- अध्यक्ष त्रिपुरा ईआरसी ने फोरम को सूचित किया

कि मौजूदा स्थिति में लगभग सभी राज्य में पूरे देश में घरेलू और कृषि उपभोक्ता के लिए विभिन्न टैरिफ संरचना है। घरेलू टैरिफ प्रत्येक राज्य में अलग अलग हैं जो कम से कम दो 2.40 रुपये प्रति यूनिट और अधिकतम 12.00 रुपये प्रति यूनिट तक हैं। कुछ राज्य सरकारों ने उपभोक्ताओं के लिए एकसमान टैरिफ के लिए अधिसूचनाएं भी जारी की हैं। अतएव उन्होंने प्रस्ताव किया कि यद्यपि कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं का एकसमान टैरिफ हो सकता है। अतएव वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोकत्ओं के लिए टैरिफ बाजार निर्धारित कीमतों पर निर्धारित किया जा सकता है। इस मामले में फोरम को सूचित किया गया कि इसी दिशा में टैरिफ श्रेणियों और उपश्रेणियों को तर्कसंगत बनाने के लिए एक अध्ययन पहले ही विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। फोरम ने इसे नोट किया।

दीव में 31 जनवरी, 2020 को आयोजित एफओआर की 70वीं बैठक

- फोरम को थर्मल विद्युत केन्द्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण के स्थापन्न के लिए निधियों की व्यवस्था, इन उपकरणों की स्थापना के बाद उत्पादन केन्द्र को अनंतिम टैरिफ प्रदान करने और इस प्रकार की स्थापना के लिए कार्यकारी पूंजी जुटाने जैसे विषयों पर विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ के बारे में सूचित किया गया। सीईए द्वारा जारी मानदण्ड एवं बेंचमार्क पूंजी लागत पर विचार विमर्श किया गया जिसमें उत्सर्जन पर, नए संशोधन का सार और केपेक्स के सांकेतिक लागत पर नए विनियमों पर विचार विमर्श किया गया और उन्हें विस्तार से प्रस्तुत किया गया। फोरम ने सहमति व्यक्त की चूंकि एफजीडी की स्थापना के लिए नए पर्यावरणीय मानदण्ड विभिन्न आदेशों में सीईआरसी द्वारा विधि में परिवर्तन के रूप में विचार किया गया है। अतएव सीईआरसी के इन आदेशों तथा सीईए द्वारा बेंचमार्क सहित इस प्रकार के विषयों को मामला दर मामला आधार पर इस प्रकार के मामलों पर निर्णय के लिए एसईआरसी के लिए संदर्भ दस्तावेजों के रूप में लिया जा सकता है।
- फोरम को विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ के बारे में सूचित किया गया कि जिसमें एसईआरसी को उत्पादन/पारेषण/वितरण के टैरिफ में कमी के लिए प्राप्तकताओं/डिस्काम द्वारा किए गए अग्रिम भुगतान पर ध्यान देने का अनुरोध किया गया। एसईआरसी को इस प्रकार के डिस्काम के लिए उचित छूट तंत्र विकासित करने का अनुरोध किया गया जो विद्युत मंत्रालय के आदेश के अनुसार अग्रिम भुगतान के लिए विकल्प करते हैं। एसईआरसी को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बोली परियोजनाओं के लिए उत्पादन टैरिफ में कमी उपलब्ध करनवाने का भी अनुरोध किया गया। यह भी सहमति हुई कि की गई कार्यवाही रिपोर्ट एसईआरसी द्वारा एफओआर सचिवालय को प्रस्तुत की जाए ताकि उसे विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित किया जा सके।
- अध्यक्ष कर्नाटक ईआरसी ने आरईसी तंत्र के अधीन वसूल की गई केपिंग दर के संबंध में टैरिफ नीति के खण्ड 6.4(i)(iii) के संशोधन की अपेक्षा के संबंध में प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद फोरम सहमत हुआ कि एसईआरसी माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार आरईसी परियोजना के लिए एपीपीसी पर विचार के लिए मुक्त हैं।
- अध्यक्ष ओईआरसी ने जेनरिक ई–कोर्ट वेब टूल के कार्यान्वयन पर अद्यतन के लिए एफओआर सचिवालय को अनुरोध किया चूंकि ओईआरसी इसके लाभों पर विचार करते हुए इसे कार्यान्वित करने का इच्छुक है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि यदि एफओआर इस जेनरिक टूल की लागतों की पूर्ति कर सकता है। इस संबंध में फोरम ने एक बार फिर एफओआर सचिवालय को विद्युत मंत्रालय को अनुस्मारक भेजने का निर्देश दिया जिसमें निधियों को शीघ्र रिलीज करने की मांग की गई। यह भी निर्णय किया गया कि ई–कोर्ट वेब टूल के कार्यान्वयन के लिए एफओआर सदस्यों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय से कोई भी उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति उसके निधियों के लिए एफओआर का प्रस्ताव अगली बैठक में उठाया गया।
- केविविआ (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभार और हानियों की शेयरिंग) विनियम 2019 के ड्राफ्ट पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। समापन के लिए सीईआरसी/एफओआर के अध्यक्ष ने बताया कि पीओसी की अवधारणा जटिल है चूंकि यह भार प्रवाह पर निर्भर करती है। उन्होंने इसी विषय पर विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट का संदर्भ दिया और बताया कि एफओआर सदस्यों द्वारा रेखांकित टिप्पणियों को सीईआरसी के समक्ष स्टेकहोल्डरों द्वारा उठाया गया है और आयोग पारेषण प्रभारों की शेयरिंग पर संशोधित विनियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व इस प्रकार के सभी विचारों को उचित महत्व देगा। फोरम ने इसे नोट किया।
- फोरम को सीईआरसी के दो विशिष्ट हस्ताक्षेपों अर्थात सहायक सेवा पर विनियम और सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण के बारे में सूचित किया गया और पोसोको के पास सहायक सेवा अपेक्षा की पूर्ति के लिए केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों के अनपेक्षित अधिशेष के स्वविवेक है। रिपोर्ट विशेषता पर विचार विमर्श करने के बाद फोरम ने ग्रुप के प्रयासों की सराहना की। मॉडल विनियमों और रिपोर्ट पर टिप्पणियों को यदि कोई है, एफओआर सचिवालय को एसईआरसी द्वारा भेजा गया।
- पीएमयू–एनएसजीएम के प्रतिनिधि ने इस पहल पर

फोरम के समक्ष प्रस्तुति की जिसमें एसईआरसी से प्रोत्साहन की अपेक्षा होती है ताकि ऐसा परिवर्तन किया जाए जिसमें विद्युत प्रणालियों के भार और भविष्य को प्रबंध किया जा सके। राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई और यह बताया गया कि सभी राज्यों से अपने स्मार्ट ग्रिड विकसित करने के लिए राज्यस्तरीय यूनिट अपेक्षित हैं। फोरम ने प्रस्तुति की सराहना की।

- फोरम को सूचित किया गया कि पीएसआर कार्यक्रम के अधीन (भारत सरकार और यूके सरकार के बीच भागीदारी) केपीएमजी विद्युत क्षेत्र सुधारों पर कई विषयों पर सहायता के लिए परामर्श एजेंसी है। एबीपीएस सहित एपीएमजी ऑनलाइन प्लेटफार्म विकसित करने के लिए एफओआर की सहायता कर रहा है जहां टैरिफ के लिए महत्वपूर्ण डाटा इनपुट पर तुलनात्मक विवरणी तथा संबंधित इनपुट तक पहंचा जा सकता है। यह सूचित किया गया कि ड्राफ्ट फार्मेट को तैयार किया गया और फोरम द्वारा अनुमोदित किया गया। वेब टूल के विभिन्न विशेषताओं पर विचार करने के बाद और उस पर विचारविमर्श करने के बाद फोरम ने डाटा प्रबंधन और स्वामित्व से संबंधित कई पहलुओं पर निर्णय किया।
- फोरम को सूचित किया गया कि 2011 के ओपीवन के मामले में एपीटीएल ने उसके अनुपालन के उद्देश्य से और विभिन्न प्रकार की सूचना की मांग की। और इसके अनुपालन के उद्देश्य से एफओआर सचिवालय ने एसईआरसी के प्राप्त विभिन्न टैरिफ पैरामीटर पर डाटा को संकलित किया और उसे एपीटीईएल को अग्रेषित किया। तथापि उस पर विचार करते हुए वही डाटा एपटेल को भविष्य में प्रस्तुत करना अपेक्षित है इसलिए एक फार्मेट विकसित किया गया है और उसे एपटेल को सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। फार्मेट पर विचार विमर्श करने के बाद फोरम ने निर्णय किया कि एफओआर सचिवालय द्वारा प्रस्तावित फार्मेट सिद्धांतः अनुमोदित किया गया। एसईआरसी को 15 दिन के अंदर टिप्पणियां देनी है जिसे एफओआर सचिववालय द्वारा शामिल किया जाएगा और इस फार्मेट में वही डाटा ऐपटेल के निर्देशों के अनुसार ऐपटेल को प्रस्तुत किया जाएगा।
- एलबीएनएल और प्रमुख (आरए) प्रमुख केविविआ के प्रतिनिधि ने भारत में ऊर्जा स्टोरेज के शुरूआत के लिए विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के बाद फोरम ने निम्नानुसार निर्णय किया।
  i. संसाधन प्राप्यता अपेक्षा इसकी पूर्ति कैसे की जाए और अध्ययन के लिए कितनी लागत की आवश्यकता है। मार्गदर्शी सिद्धांत इस संदर्भ में अगले तीन–चार महीने में विकसित किए जाएं और एलबीएनएल को अगले चार से पांच महीने में इसके लिए टूल विकसित करना होगा।
  ii. एसईआरसी यूएस डिपार्टमेंट स्टेट और एलबीएनएल द्वारा आरंभ लोचशील संसाधनों की सहायता कर सकता है।
- नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, थर्मल आस्तियों पर प्रभाव और ऊर्जा स्टोरेज के संबंध में विनियामक फ्रेमवर्क सृजित करने के लिए विस्तृत संसाधन प्रयाप्तया अध्ययन के लिए इच्छुक/मुख्य राज्यों के कार्यदल के सृजन का निर्णय किया गया।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

वितरण क्षेत्र में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा

फोरम ने ''वितरण में निर्बाध पहंच की स्थिति की समीक्षा'' अध्ययन आरंभ किया। मैसर्स डिलॉयट को फोरम की सहायता के लिए अध्ययन के लिए खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। इस अध्ययन का उद्देश्य विद्युत वितरण क्षेत्र में निर्बाध पहुंच की स्थिति की समीक्षा करना/विश्लेषित करना तथा निर्बाध पहुंच को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का पता लगाना था। अध्ययन में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश राज्यों में बढ़ी हुई निर्बाध पहुंच गतिविधि को पाया गया और यह प्रोत्साहनकारी निर्बाध पहुंच की उपलब्धता सहित सस्ते नवीरकणीय ऊर्जा स्रोतों की बढ़ी उपलब्धता के कारण संभव हो सका। अध्ययन में हरियाणा और गुजरात राज्यों में अल्पकालिक निर्बाध पहुंच में कमी पाई गई। अल्पकालिक निर्बाध पहुंच में इस प्रकार की कमी पावर एक्सचेंजों में कीमतों में पर्याप्त वृद्धि के कारण थी चूंकि इन राज्यों में उपभोक्ताओं के अल्पकालिक निर्बाध पहुंच संव्यवहार अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के लिए पावर एक्सचेंजों पर निर्भर करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि निर्बाध पहुंच अध्ययन के अधीन सभी राज्यों में पारंपरिक विद्युत का उपयोग करने वाले केप्टिव उपभोक्ताओं के लिए संभव था जबकि गैर केप्टिव उपभोक्ताओं के संबंध में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में यह संभव पाया गया। तथापि निर्बाध पहुंच पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा सौर विद्युत का प्रयोग करने वाले गैर केप्टिव उपभोक्ताओं तथा केप्टिव के संबंध में संभव पाया गया। अध्ययन में निर्बाध पहुंच के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई उपायों का सुझाव दिया गया जिसमे अन्य बातों के साथ–साथ उपभोक्ताओं की लागत शिफ्टिंग, प्रगतिशील टैरिफ तार्किकता, निर्बाध पहुंच प्रभारों के अवधारण के लिए एकसमान पद्धति, निर्बाध पहुंच प्रभारों दीर्घकालिक निश्चितता, निर्बाध पहुंच के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विलंब का निराकरण के संबंध में सरल और कारगर उपाय शामिल हैं। रिपोर्ट को 20 सितंबर, 2019 को विनियामक फोरम की 69वीं बैठक में इसे पृष्ठांकित किया गया।

राज्य स्तर पर रिज़र्व एवं सहायक सेवाओं पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट (संतुलन)

रिपार्ट में विद्युत प्रणाली और विद्युत बाजार की कार्यप्रणाली के लिए अनिवार्य विश्वसनीय सेवाओं के लिए आवश्यकताओं

पर बल दिया गया इसमें निर्धारण के लिए रोडमैप, सृजन, व्यवस्था, ग्रिड में रिज़र्व के प्रेषण और निपटान की व्यवस्था है। रिपोर्ट में सहायक सेवाओं पर अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय अनुभव को रेखांकित किया गया और सीईआरसी, एसईआरसी, एसएलडीसी, आरएलडसी, एनएलडीसी और अकादमियों से प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से संकलित किया गया।

केन्द्रीय आयोग ने रिज़र्व के नियोजन के लिए सतत तंत्र विकसित करने के लिए कई वर्षों से कई पहल की है। अक्तूबर 2015 में ''देश में रिज़र्व के संचालन के लिए रोडमैप'' की अधिसूचना के बाद आयोग ने थर्मल विद्युत केन्द्रों के लोचशीलताकरण के लिए मानदण्डों के माध्यम से (अनुसूचीकरण यूनिट के लिए उच्चतम सीमा, 55 प्रतिशत तकनीकी न्यूनतम) प्रादेशिक स्तर पर रिज़र्व के सृजन को सरल बनाया। अंतरराज्यिक स्तर पर निपटान और रिजर्व के अधिकतम प्रेषण के लिए स्थापित तंत्र इसके अलावा रिज़र्व विनियामक सहायक सेवा, तेज सहायक सेवा, स्वाचालित उत्पादन नियंत्रण और सुरक्षा नियंत्रित आर्थिक प्रेषण हैं। यह रिपोर्ट अंतरराज्यिक स्तर की सहायक सेवाओं के अनुभव को संकलित करती है और अंतरराज्यिक स्तर पर इस प्रकार के तंत्र के कार्यान्वयन के लिए सुझाव प्रदान करती है। रिपोर्ट में अंतःराज्यिक अनिवार्य विश्वसनीयता सेवाओं पर मॉडल विनियम को शामिल किया गया है जिसे उनके संबंधित राज्यों में अपेक्षा का पता लगाते समय एसईआरसी द्वारा अपनाया जा सका है। रिपोर्ट को 03 जनवरी 2020 को स्थायी तकनीकी समिति की बैठक में पृष्ठांकित किया गया और 31 जनवरी 2020 को विनियामक फोरम द्वारा इसकी 70वीं बैठक में पृष्ठांकित किया गया।

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम के मुख्य उत्तरदायित्वों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों के कार्मिकों का क्षमता निर्माण है। निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2019–20 में फोरम द्वारा आयोजित किए गए।

सिडनी आस्ट्रेलिया में 27 – 29 नवंबर, 2019 को विद्युत विनियामक आयोगों के आयुक्तों के लिए द्वितीय वैश्विक विनियामक परिदृश्य कार्यक्रम कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय निम्नानुसार है

- विनियामक सत्र
- आस्ट्रेलिया में विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक लैंडस्केप
- उपभोक्ता हितों का संरक्षण – सांस्थनिक दृष्टिकोण एवं पद्धतियां
- आस्ट्रेलियन विद्युत क्षेत्र का विकास और उभरते परिदृश्य
- उपभोक्ता की पसंद और आस्ट्रेलिया में खुदरा विद्युत बाजार का विकास
- आस्ट्रेलिया में विद्युत बाजार प्रचालन

आईआईटी कानपुर में 7–9 जनवरी, 2020 को टैरिफ तकनीक एवं उपभोक्ता पसंद – विद्युत क्षेत्र में उभरते हुए विनियामक विषयों पर विद्युत विनियामक आयोगों के अधिकारियों के लिए 13वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- विद्युत क्षेत्र विनियम का आर्थिक आधार
- वितरण टैरिफ डिजाइन : पद्धतिपूर्ण दृष्टिकोण
- टैरिफ सेटिंग की आर्थिकी : सेवाओं की लागत से आगे
- टैरिफ के विधिक एवं वाणिज्यिक पहलू : हाल ही के ऐपटेल का स्नैपशॉट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश
- विद्युत बाजार : आधारभूत एवं हाल की उपलब्धियां
- दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान : यूपीपीसीएल मामला अध्ययन
- स्मार्ट ग्रिड : कार्यानवयन, चुनौतियां और प्रगति
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली : सौर एवं पवन क्षेत्र से अनुभव
- विनियामक विचारोत्तेजक सत्र
- आईआईटी कानपुर में सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र तथा स्मार्ट ग्रिड केन्द्र में साइट विजिट

30–31 जनवरी, 2020 को राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में सीजीआरएफ एवं ओमब्डसमैन के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हित का संरक्षण'' पर दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए विषय निम्नानुसार है:

- उपभोक्ता शिकायतों के लिए क्रियाविधि – मॉडल तंत्र
- ग्राहक सेवा व्यवहार में सुधार के लिए तकनीकी हस्तक्षेप
- बीआरपीएल के मानकों एवं कार्यनिष्पादन का परिचय
- विद्युत अधिनियम 2003 तथा उपभोक्ता हितों के संरक्षण पर बल देते हुए विनियामक उपबंध
- विद्युत क्षेत्र/उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र में उपभोक्ताओं से संबंधित सांविधानिक विधि और कुछ महत्वपूर्ण अधिनिर्णय ।
- दिल्ली के साथ तुलना करते हुए अन्य राज्यों में उपभोक्ता शिकायत अनुभवों की शेयरिंग

3

2019–20 के दौरान (केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी) विनियामक फोरम के विनियामक निकायों के सदस्यों की उपलब्धियां

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों के संबंध में विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल की।

i. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020

विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केविविआ ने 02 जनवरी, 2020 को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 जारी किया। यह विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और आयोग द्वारा निरस्त होने तक बने रहेंगे।

अधिनियम की धारा 66 के अनुसार विद्युत बाजार के विकास के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियमों को फरवरी, 2009 में जारी किया गया और वर्ष 2009–2010, 2012–13 में पुनरीक्षण किया गया और संशोधन किया गया। इसके अलावा आयोग ने विद्युत में अंतरराज्यिक व्यापार के लिए व्यापार मार्जिन के निर्धारण के लिए जनवरी, 2010 में केविविआ (व्यापार मार्जिन का निर्धारण) विनियम 2010 को अधिसूचित किया।

आयोग ने उक्त व्यापार अनुज्ञपित एवं व्यापार मार्जिन विनियमों की आवश्यकता का अनुभव किया। व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम 2020 के अंदर कवर किए जा रहे व्यापार मार्जिन के संबंध में विनियमों के साथ समय–समय से यथासंशोधित मौजूदा व्यापार अनुज्ञप्ति विनियम 2009 और व्यापार मार्जिन विनियम 2010 केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 के आरंभ की तारीख से निरस्त होंगे।

तदनुसार, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम 2020 विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए लागू होगा और अधिनियम की धारा 14 के अधीन विद्युत के अंतरराजियक व्यापार के लिए आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है। विनियमों में निम्नलिखित निबंधन व शर्तों को कवर किया जाएगा।

- आवेदक की अर्हकता
- अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि
- व्यापार मार्जिन
- व्यापार अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताएं
- व्यापार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हस्ताक्षेप एवं दण्ड
- अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

इसके अलावा, विनियमों में विनियमों के अनुपालन के लिए मौजूदा अनुज्ञप्तिधारियों के संबंध में अतिरिक्त उपबंधों को रेखांकित किया गया।

ii. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2020

25 मार्च, 2020 के अधिसूचना के माध्यम से केविविआ ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें तथा अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम 2020 अधिसूचित किया। व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए क्रियाविधि, निबंधन व शर्तें के लिए विनियम 02 जनवरी, 2020 को जारी किया गया जिसमें व्यापार अनुज्ञप्ति और व्यापार मार्जिन प्रदान करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया गया।

आयोग ने नोट किया कि विनियमों में व्यापार मार्जिन पर कई महत्वपूर्ण विषय उपलब्ध करवाए गए हैं। तथापि कुछ स्टेकहोल्डरों ने यह स्पष्टीकरण की मांग की है कि क्या व्यापारी बैंकिंग संव्यवहारों पर नकारात्मक मार्जिन प्रभारित कर सकते हैं तथा संचयी व्यापार मार्जिन जीरो और 7 पैसे/किलोवाट घण्टे के बीच बने रह सकते हैं। एक पार्टी से नकारात्मक व्यापार मार्जिन प्रभारित करते हुए यद्यपि व्यापार अनुज्ञप्ति विनियमों के विनियम 8(1)(ई) के अनुसार शून्य पैसे/किलोवाट घण्टे से कम नहीं के संचयी व्यापार मार्जिन और 7 पैसे/किलोघण्टे से नहीं के संचयी के व्यापार मार्जिन का अनुपालन कर सकते हैं, तो यह अनिश्चित हो जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था बाजार विरुपण की ओर ले जाएगी और इस प्रकार बैंकिंग संव्यवहार के लिए कोई भी पार्टी शून्य

पैसे/किलोवाट घण्टे से कम का प्रभारित व्यापार मार्जिन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम संशोधन आयोग द्वारा अधिसूचित किया गया।

दीर्घकालिक कांट्रेक्ट के मामले में आयोग ने दीर्घकालिक कांट्रेक्ट के मामले में मासिक कांट्रेक्ट मूल्य के आधार पर साखपत्र के रखरखाव के लिए अपेक्षा को नोटिस किया और जहां इस प्रकार के अल्पकालिक कांट्रेक्ट की अवधि एक महीने से अधिक है वहां भी इसे नोटिस किया।

यह भी आयोग के नोटिस में आया एक महीने से अधिक की अवधि के लिए अल्पकालिक संव्यवहारों के मामले में कांट्रेक्ट की समूची अवधि के लिए कांट्रेक्ट मूल्य के समतुल्य साखपत्र या एसक्रो व्यवस्था व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए भारी होगी। विशेष रूप से जब संव्यवहारों को मासिक बिलिंग चक्र के आधार पर सामान्यताः निपटाया जाता है। तदनुसार एक महीने से अधिक की अवधि सहित संव्यवहारों के साखपत्र या एसक्रो व्यवस्था मूल्य कांट्रेक्ट अवधि को ध्यान में रखे बिना मासिक कांट्रेक्ट मूल्य के 1.05 बार के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार एक परन्तुक संशोधन के माध्यम से विनियम में जोड़ा गया है।

iii. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020

केविविआ ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न शेयरिंग राजस्व के लिए तंत्र को विनिर्दिष्ट करना है।

उक्त विनियम से पूर्व केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2007 प्रभावी था। आयोग ने मौजूदा बाजार स्थिति और प्राप्त अनुभव के आधार पर इन विनियमों का पुनरीक्षण किया। आयोग ने पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न शेयरिंग राजस्व के विनियामक फ्रेमवर्क के संशोधन के लिए अनुभव पर आधारित उपबंधों के पुनरीक्षण के बाद इस विनियम को निरस्त कर दिया।

आयोग ने 25 सितंबर, 2019 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें सुझावों/टिप्पणियों/आपत्तियों को आमंत्रित किया गया और 13 जनवरी, 2020 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की। 17 फरवरी, 2020 को पूर्व प्रकाशनों के अनुपालन के बाद आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण आस्तियों के उपयोग से व्युत्पन्न राजस्व की शेयरिंग के लिए इन विनियमों पर निर्भर करेंगे।

iv. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019

केविविआ ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 178 के उपधारा 2 के खण्ड (जेडई) और धारा 178 की उपधारा (1) अनुसार केविविआ ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य विद्युत प्रणाली विकास निधि, निधि के संवितरण और प्रबंधन के लिए उपयोग एवं अन्य क्रियाविधि विनियमों के लिए दृष्टिकोण के अधीन विभिन्न विनियामक उपबंधों के अधीन उपलब्ध अधिशेष निधियों को सामने लाना है।

उक्त विनियम से पूर्व केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2014 प्रभावी था जिसमें विभिन्न समितियों को गठित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने निधियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न समितियों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए मार्गनिर्देश जारी किए। आयोग ने अनुभवों के आधार पर उपबंधों के पुनरीक्षण तथा सरल कार्यान्वयन के लिए उपबंधों को सरलीकृत करने के बाद इस विनियम को निरस्त कर दिया।

आयोग ने 24 मई, 2019 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसमें ड्राफ्ट अधिसूचना पर सुझावों/टिप्पणियों/आपत्तियों को आमंत्रित किया। प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के बाद आयोग ने विनियमों को अंतिम रूप दिया और 28 अगस्त, 2019 को अंतिम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया। यह विनियम विद्युत प्रणाली विकास निधि के संवितरण और प्रभावी प्रबंधन के लिए अब कार्यान्वित किया जाएगा।

v. केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और अन्य संबद्ध मामले) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने 28.05.2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और अन्य संबद्ध मामले) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया ताकि डीएसएम विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन में स्टेकहोल्डर द्वारा उठाई गई तकनीकी एवं प्रचालनगत कठिनाईयों को दूर किया जा सके और संगठित बाजारों के माध्यम से इकाइयों द्वारा अल्पकालिक ऊर्जा अपेक्षा के लिए भार पूर्वानुमान तकनीक को अंगीकार करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया जा सके और उनकी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रिड को दुरुस्त बनाया जा सके।

विनियम में संशोधन में दो नई परिभाषाओं अर्थात ''दैनिक आधार डीएसएम प्रभार'' की व्यवस्था है अर्थात प्रतिदेय या प्राप्य जैसी भी स्थिति हो, में सभी टाइमब्लॉकों के लिए विचलनों के लिए प्रभारों का जोड़ अभिप्रेत है और ''टाइम ब्लॉक डीएसएम प्रभार'' से दिन में प्रतिदेय या प्राप्य जैसी

भी स्थिति भी, हो विनिर्दिष्ट ब्लॉक के लिए विचलन के लिए प्रभार अभिप्रेत है। संशोधन में नए खण्डों के अनुसार क्रॉसबार्डर संव्यवहारों के संबंध में विचलन के लिए और अंतःप्रादेशिक विचलनों के लिए प्रभार डेअहेड बाजार में अनियंत्रित बाजार क्लियरिंग कीमत के आधार पर संगणित किया जाएगा। विभिन्न बोली क्षेत्रों में आने वाली इकाई के संबंध में विचलन के लिए प्रभार उस बोली क्षेत्र के दैनिक औसत एसीपी के आधार पर संगणित किया जाएगा जिसमें इस प्रकार की इकाई का इसकी मांग का सबसे बड़ा समानुपात है। साइन परिवर्तन अपेक्षा के लिए टॉलरेन्स बैण्ड +/– 20एमडब्ल्यू किया गया है और सभी इकाइयों के लिए एकसमान केप दर की गई है तथा इसे पहले से उपलब्ध 303.04 पैसे/किलोवाट घण्टे के पहले से उपलब्ध संदर्भ में इंडेक्स किया गया है जिसे इसे संशोधन में उपलब्ध करवाया गया है। इस संशोधन में उस तरीके को भी उपलब्ध करवाया गया है जिससे इकाई दो अलग समयावधि अर्थात 21.3.2020 तक की अवधि और 01.04.2020 तक के आगे की अवधि के लिए एक दिशा (सकारात्मक या नकारात्मक) में अनुसूची से सतत विचलन की स्थिति में अपनी स्थिति को ठीक करेगा।

vi. *केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019*

अधिनियम की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने आरएलडीसी एवं एनएलडीसी के लिए फीस एवं प्रभारों के निर्धारण के लिए विनियमों को अधिसूचित किया जिसे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2015 (01.04.2014–31.03.2019 तक पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए लागू) कहा गया जो 31.3.2019 को समाप्त हुआ। इस प्रकार आयोग ने 01.04.2019–31.03.2024 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस और प्रभार तथा अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2019 अधिसूचित किया।

विनियम 01.04.2019–31.03.2024 तक की न्यूनतम अवधि के लिए उत्पादन कंपनियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, क्रेताओं, विक्रेताओं तथा अंतरराज्यिक व्यापार अनुज्ञप्तिधारियों तथा किसी अन्य प्रयोक्ताओं से प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा वसूल किए जाने वाले फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए लागू होंगी।

इन विनियमों में मुख्य परिवर्तन नीचे उलिलखित हैं:

- प्रणाली प्रचालन प्रभार और बाजार प्रचालन प्रभार मासिक एलडीसी प्रभारों के रूप में अभिहित किए गए हैं और अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन केन्द्रों तथा विक्रेताओं, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और क्रेताओं के लिए संगणित किए गए हैं।
- वार्षिक एलडीसी प्रभार, आकस्मिक रिजर्व, प्रभावी कर दर, भार प्रेषकों के फार्म, एरगोनॉमिक्स, एलडीसी विकास निधि, प्रचालनगत व्यय एवं अन्य सहायक कार्यों की परिभाषा को जोड़ा गया है।
- प्रयोक्ता को अवरजिर्स्ड करने का प्रावधान किया गया है। एक प्रयोक्ता को तदनतर पुनः रजिस्टर्ड किया जा सकता है जब चूककर्ता ने मूल रजिस्ट्रेशन प्रभारों का 50 प्रतिशत अदा करते हुए संयोजकता पुनः स्थापित कर दिया है।
- आरएलडीसी और एनएलडीसी कार्यों को केबिल रिपार्ट में सुझाव के अनुसार इन विनियमों में जोड़ा गया है।
- आरएलडीसी या एनएलडीसी नियंत्रण अवधि के अंदर एक बार इसके खर्चों की मध्यकालिक समीक्षा करेगा यदि अनुमोदित केपेक्स या रेपेक्स या किसी अन्य अदृश्य अपेक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचलन, वेतन पुनरीक्षण के रूप में जैसे आकस्मिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अनुभव किया जाता है। और आयोग के समक्ष ट्रूअप याचिका दाखिल कर सकता है जो इन विनियमों के आरंभ की तारीख से 02 वर्ष से पहले न हो।
- एलडीसी का कार्यनिष्पादन चार आयामों – स्टेकहोल्डर की संतुष्टि, वित्तीय विवेक, आंतरिक प्रक्रिया, शिक्षण एवं वृद्धि में मूल्यांकित किया जा सकता है।
- किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार संगणित फोल्ड सचिवालय के लिए गैर विवेकी जांच के बाद आयोग द्वारा अनुमति दी जाएगी।
- यदि इन विनियमों के अधीन प्रतिदेय प्रभारों के लिए किसी बिल का भुगतान बिलिंग की तारीख से 45 दिनों की अवधि के आगे प्रयोक्ता द्वारा विलंब होता है तो 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर विलंब भुगतान अधिभार प्रयोक्तताओं से उदग्रहित किया जाएगा।
- 1.5 प्रतिशत की छूट सकल बिल पांचवे दिवस पर एनएलडीसी या आरएलडीसी द्वारा अनुमति दी जाएगी। 01 प्रतिशत की छूट की अनुमति होगी जब भुगतान बिल की जारी करने से टी+6 से टी+30 दिनों के अंदर किया जाता है। बिल के जारी होने की तारीख से टी+30 दिनों से टी+45 दिनों तक किए गए भुगतान के लिए किसी छूट की अनुमति नहीं होगी।

असम विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2019
- एईआरसी (वैद्युत दुर्घटनाओं के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति)

विनियम, 2019

- एईआरसी (ग्रिड इंटरेक्टिव सौर पीवी प्रणालियां) विनियम, 2019
- एईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- एपीजीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित एआरआर एवं टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- एईजीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित एआरआर एवं टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- एपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित एआरआर एवं टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रु.3.78/किलोवाट घंटा के रूप में औसत पूल्ड विद्युत क्रय लागत (एपीपीसी) को अधिसूचित करने के लिए आदेश

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:

- आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) चौथा संशोधन विनियम, 2019
- आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) पांचवा संशोधन विनियम, 2019
- आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग में प्रथम संशोधन – राज्य सलाहकार समिति का गठन और इसका संचालन विनियम 2004

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए चौथी नियंत्रण अवधि के लिए वितरण कारोबार हेतु एआरआर के अवधारण और व्हीलिंग प्रभारों के मामले में 2018 के ओ.पी. सं.28 और 29 में आदेश
- चौथी नियंत्रण अवधि के लिए ऐपजेन्को उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए टैरिफ के अवधारण के मामले में 2018 के ओपी. सं.35 में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए फुटकर आपूर्ति टैरिफ आदेश के संबंध में आदेश
- अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना के लिए टैरिफ के अवधारण के मामले में 2018 के ओपी. सं. 24 में आदेश
- सौर रूफ टॉप एसआरटी नीति को कार्यान्वित करने के लिए मौडेलिटी दिशानिर्देशों के मामले में आदेश
- 2019 के ओ.पी. सं.32 में एपीईपीडीसीएल में यूटिलिटी संचालित सौर रूफ टॉप पायलट कार्यक्रम के संबंध में आदेश
- ऐपट्रांस्को के टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पीओसी प्रभारों के संबंध में 2019 के ओपी.सं. 44 में आदेश
- विस्तृत भार पूर्वानुमानों और संसाधन योजनाओं के अनुमोदन के संबंध में आदेश
- मौजूदा बायोमास औद्योगिक अपशिष्ट और बागास आधारित संयंत्रों के संबंध में 01–04–2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए परिवर्तनशील लागत के मामले में आदेश

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:

- एपीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ (वितरण) के संबंध में याचिका के लिए टैरिफ आदेश (पूरक)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लघु हाइड्रो संयंत्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ आदेश

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:

- एपीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ (वितरण) के संबंध में याचिका के लिए टैरिफ आदेश (अनुपूरक)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लघु हाइड्रो संयंत्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए:

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरेक्टिव वितरित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत) विनियम, 2019 (अधिसूचना तारीख 05/10/2019)
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा

उत्पादित विद्युत के लिए उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें और सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 (अधिसूचना तारीख 30/12/2019)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दायर ''विद्युत परियोजना में संव्यवहारों का अनुसूचियन, लेखांकन, मीटरिंग और व्यवस्थापन'' (समस्त परियोजना) का अनुमोदन (2019 की याचिका सं.25)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 और 2020–21 में राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) वाले सीओडी प्राप्त करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ। इन नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों में 25 मेगावाट तक के लघु हाइड्रो संयंत्र, 2 मेगावाट तक के सौर पीवी संयंत्र और मौजूदा बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार शामिल हैं।
- मैसर्स सीएसपीडीसीएल द्वारा दायर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शक्ति योजना से उत्पन्न होने वाले परिणामों को शामिल करने के लिए अनुपूरक विद्युत क्रय करार (पीपीए) का अनुमोदन

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधि ासूचित किए गए:

- डीईआरसी (कारोबार योजना) विनियम, 2019
- डीईआरसी (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) दिशानिर्देश, 2019

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधि ासूचित किए गए

- जीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरेक्टिव प्रणालियां) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र फीस एवं प्रभारों के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- यूजीवीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए एआरआर का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- डीजीवीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए एआरआर का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- एमजीवीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए एआरआर का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- पीजीवीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 के लिए एआरआर का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- टौरेंट पावर लिमिटेड – वितरण सूरत के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवध ारण के संबंध में टैरिफ आदेश
- टौरेंट पावर लिमिटेड – वितरण अहमदाबाद के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 का मध्यकालिक पुनरीक्षण और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में टैरिफ आदेश

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधि ासूचित किए गए

- एचईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले) विनियम, 2019
- एचईआरसी (सौर और पवन उत्पादन के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचियन और विचलन व्यवस्थापन) विनियम, 2019
- एचईआरसी (कारोबार का संचालन) विनियम, 2019
- एचईआरसी (नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरेक्टिव प्रणालियां) विनियम, 2019
- एचईआरसी (बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019
- एचईआरसी (फोरम और लोकपाल) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ का अवधारण, नवीकरणीय क्रय बाध्यता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2017 में व्यवस्थित मानदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आरंभ की गईं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं अर्थात् बायोमास, बायोगैस एवं बागास आदि के साथ–साथ अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत टैरिफ का अवधारण – स्वप्रेरणा से
- वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की नियंत्रण अवधि के लिए हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 और ड्राफ्ट बहुवर्ष टैरिफ विनियम, 2019 के संबंध में हितधारकों द्वारा आयोग में दायर की गईं आपत्तियों / टिप्पणियों / सुझावों के मामले में।

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एचपीईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और सहबद्ध मामले)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2019
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन की प्रोन्नति और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019
- एचपीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2019
- एचपीईआरसी (नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व और इसका अनुपालन)(छठा संशोधन) विनियम, 2020
- एचपीईआरसी (कारोबार का संचालन)(दसवां संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24) के लिए एचपीएसईबीएल के लिए बहुवर्ष टैरिफ एवं वित्तीय वर्ष 2017 ट्रू अप
- चौथी बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए प्रथम वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर), वित्तीय वर्ष 21 के लिए टैरिफ का अवधारण और वितरण कारोबार के लिए वित्तीय वर्ष 18 का ट्रू–अप
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बास्पा ।। एचईपी के लिए बहु–वर्ष टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) के लिए बहु–वर्ष टैरिफ आदेश
- हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एचपीएसएलडीसी) के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि के लिए ट्रूअप और वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बहुवर्ष टैरिफ के संबंध में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम छह मास के लिए सौर पीवी परियोजनाओं के लिए जेनेरिक स्तरीकृत टैरिफों का अवधारण

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल) विनियम, 2019
- जेईआरसी (कारोबार का संचालन)(पांचवां संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए जेनेरिक टैरिफ आदेश

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- (विद्युत आपूर्ति कोड) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2019
- (विद्युत आपूर्ति कोड) (बारहवां संशोधन) विनियम, 2019
- (विद्युत आपूर्ति कोड) (तेरहवां संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मणिपुर राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमएसपीसीएल) के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल) के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पावर एवं विद्युत विभाग, मिजोरम के लिए टैरिफ आदेश

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेएसईआरसी (आर्थिक और दक्ष अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली का नियोजन, समन्वय, विकास और अनुमोदन) विनियम, 2019

- जेएसईआरसी (अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए प्रभारों की शेयरिंग हेतु फ्रेमवर्क) विनियम, 2019
- जेएसईआरसी पारेषण टैरिफ विनियमों के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें विनियम (प्रथम संशोधन), 2019
- जेएसईआरसी (पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2019
- जेएसईआरसी राज्य ग्रिड कोड (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर एवं टैरिफ के संबंध में आदेश
- इंलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 और वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप के संबंध में आदेश
- इंलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में आदेश
- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रू–अप के संबंध में आदेश
- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और उत्पादन टैरिफ के लिए मध्यकालिक समीक्षा के संबंध में आदेश
- तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2017–21 (वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए ट्रूइंग अप एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनंतिम ट्रू–अप) की अवधि के लिए बहुवर्ष टैरिफ के लिए याचिका के संबंध में आदेश

कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केईआरसी में दसवां संशोधन (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) विनियम, 2020
- केईआरसी में सातवां संशोधन नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद विनियम, 2019
- कर्नाटक राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत की आपूर्ति की शर्तें (आठवां संशोधन) 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- बीईएससीओएम के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में टैरिफ आदेश
- एचईएससीओएम के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में टैरिफ आदेश
- एमईएससीओएम के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में टैरिफ आदेश
- जीईएससीओएम के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में टैरिफ आदेश
- सीईआरसी के लिए बहुवर्ष टैरिफ फ्रेमवर्क के अधीन वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ के पुनरीक्षण के संबंध में टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2018 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में टैरिफ ओदश।
- केपीटीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए पारेषण टैरिफ के अवधारण और वित्तीय वर्ष 2020–22 के लिए राजस्व अपेक्षा।

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केरल विद्युत आपूर्ति (संशोधन) कोड, 2020
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा एवं निर्धारित मीटरिंग) विनियम, 2020
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन)

विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- नियंत्रण अवधि 2018–19 से 2021–22 के लिए एआरआर, ईआरसी और टैरिफ प्रस्तावों का अनुमोदन
- दीर्घकालिक आधार पर एसईसीआई के साथ 200 मेगावाट पवन विद्युत के लिए पीएसए का अनुमोदन

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) विनियम, 2019
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इन्टरएक्टिव रुफटॉप नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली) विनियम, 2019
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019
- महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय क्रय बाध्यता, नवीकरणी ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन और अनुपालन) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के ट्रूअप के अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रूइंग–अप, और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की बहुवर्ष टैरिफ चौथी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर और टैरिफ के अनुमोदन के लिए टाटा पावर कंपनी लि. (वितरण) का मामला
- वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के ट्रूइंग अप के अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अनंतिम ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की चौथी नियंत्रण अवधि के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और बहु वर्ष टैरिफ के लिए अदानी विद्युत मुंबई लिमिटेड (वितरण करोबार) का मामला
- वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर), वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर का अनंतिम ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की चौथी नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर एवं टैरिफ के लिए बृहनमुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन उपक्रम का मामला
- वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के एआरआर का अनंतिम ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की चौथी बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर के अनुमान और अवधारण के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मामला
- वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 की चौथी बहुवर्ष नियंत्रण अवधि के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए बहुवर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड का मामला
- वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता के अनंतिम ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता पूर्वानुमान और फीस एवं प्रभारों के अवधारण के लिए महाराष्ट्र राज्य भार प्रेषण केन्द्र का मामला

मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड (दूसरा संशोधन)
- एमपीईआरसी में आठवां संशोधन (ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षीण.I) विनियम 2010
- मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड कोड (पुनरीक्षण–II) विनियम 2019
- एमपीईआरसी (विद्युत की विलिंग एवं आपूर्ति के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के लिए पद्धतियां एवं सिद्धांत) विनियम (दूसरा संशोधन) विनियम 2015
- एमपीईआरसी में प्रथम संशोधन (पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन तंत्र और पवन तथा सौर उत्पादन केन्द्रों के संबद्ध मामले) विनियम 2018

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. द्वारा दाखिल याचिका पर टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. द्वारा दाखिल याचिका पर टैरिफ आदेश
- मेघालय विद्युत वितरण कार्पोरेशन लि. के लिए

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा टैरिफ एवं एआरआर

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मेघालय विद्युत उत्पादन कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए उत्पादन टैरिफ एवं एआरआर
- मेघालय विद्युत पारेषण कार्पोरेशन लि. के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पारेषण टैरिफ और एआरआर

नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- रुफटॉप सौर ग्रिड इन्टरएक्टिव प्रणाली निवल/सकल मिट्रींग विनियम 2019
- मांग पक्ष प्रबंधन विनियम 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुदरा टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2020–21 से 2024–25 के लिए एआरआर एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग वितरण (आपूर्ति की शर्तें) कोड 2019
- ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (मिनीग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और आपूर्ति) विनियम 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) के लिए वार्षिक फीस और प्रचालन प्रभार
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और पारेषण टैरिफ का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मैसर्स ग्रिडको)
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ (मैसर्स ओपीजीसी)

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2022–23 की दूसरी नियंत्रण अवधि के लिए पीएसईआरसी (एमवाईटी) विनियम, 2019
- पीएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन व शर्तें) (9वां संशोधन) विनियम, 2019
- पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले) (6वां संशोधन) विनियम, 2020
- पीएसईआरसी (नेट मीटरिंग पर आधारित ग्रिड इन्टरएक्टिव रुफटॉप सौर फोटो वोल्टिक प्रणाली) (पहला संशोधन) विनियम, 2020
- पीएसईआरसी (व्यापार का संचालन) (5वां संशोधन) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित आरआर के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में पीएसपीसीएल के लिए आदेश
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के ट्रूअप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित आरआर के अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ के अवधारण के संबंध में पीएसटीसीएल के लिए आदेश
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों परियोजनाओं के लिए स्तरीकृत जेनेरिक टैरिफ का अवधारण / निर्धारण
- वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2022–23 की बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि के लिए पीएसपीसीएल की पूंजीगत निवेश योजना सहित कारोबार योजना का अनुमोदन
- बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिए पीएसटीसीएल की पूंजीगत निवेश योजना सहित कारोबार योजना का अनुमोदन

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019
- आरईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन व शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2020
- आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता) (छठा संशोधन) विनियम, 2020
- आरईआरसी (पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन

व्यवस्थापन तंत्र और पवन तथा सौर उत्पादन केन्द्रों के संबद्ध मामले) विनियम, 2020

- आरईआरसी (विद्युत ओमबडसमैन द्वारा विवादों का निपटारा) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के पावर स्टेशनों के लिए वित्तीय वर्ष 2020 के लिए एआरआर और टैरिफ के अवधारण के अनुमोदन के मामले में
- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निवेश योजना का अनुमोदन
- जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडीवीवीएनएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर के ट्रूअप का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए जेनेरिक टैरिफ और बायोमास विद्युत संयंत्रों के लिए पुनरीक्षित परिवर्तनशील प्रभारों का अवधारण
- पारेषण और एसएलडीसी के वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए एआरआर का ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2020 के लिए एआरआर और टैरिफ का अनुमोदन
- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वितरण कंपनियों के एआरआर का अनुमोदन और टैरिफ याचिका

सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

- विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए बहुवर्ष टैरिफ रिजाइम के अधीन वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ आदेश का अनुमोदन

त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम को अधिसूचित किया गया

- विद्युत गुणवत्ता विनियम, 2019

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन तंत्र और पवन तथा सौर उत्पादन केन्द्रों के संबद्ध मामले विनियम 2019
- कारोबार का संचालन विनियम (संशोधन), 2019
- अनुबंध के वितरण कोड के 1, 3, 4 फार्मके विनियम 27, 29 में संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टंगेडको द्वारा देय विद्युत क्रय की पूल्ड लागत के संबंध में आदेश
- तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए टैरिफ सब्सिडी का प्रावधान

तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए गए:

- चौथी बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24) के लिए व्हीलिंग टैरिफ आदेश के जारी होने तक वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मौजूदा व्हीलिंग टैरिफों (व्हीलिंग प्रभार एवं व्हीलिंग हानियाँ) की निरंतरता
- चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24)के लिए सकल राजस्व आवश्यकता और पारेषण टैरिफ
- चौथी नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24)के लिए एसएलडीसी कारोबार के लिए वार्षिक फीस और प्रचालन प्रभार

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूपीईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम एवं विद्युत ओमबडसमैन) विनियम (पहला संशोधन), 2019
- यूपीईआरसी (केप्टिव एवं नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना) विनियम, 2019 (सीआरई विनियम, 2019)
- यूपीईआरसी (टैरिफ उत्पादन की निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019
- यूपीईआरसी (व्यापार का संचालन) विनियम, 2019
- यूपीईआरसी (बहुवर्ष टैरिफ के लिए वितरण और पारेषण) विनियम, 2019
- यूपीईआरसी निर्बाध पहुंच विनियम, 2019
- यूपीईआरसी निर्बाध पहुंच विनियम, 2019
- सौर एवं पवन उत्पादन स्रोतों, 2020 के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन व्यवस्थापन तंत्र के लिए क्रियाविधि

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, पीयूवीवीएनएल और केस्को के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ का ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर और टैरिफ का अनुमोदन
- एनपीसीएल के लिए याचिका सं. 1382/2018 में वित्तीय वर्ष 2018–19 एपीआर याचिका

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ट्रूअप याचिका, वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एपीआर समीक्षा याचिका और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित एआरआर एवं टैरिफ याचिका (यूपी विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड)

उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूईआरसी (सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम द्वारा पालन की जाने वाली क्रियाविधि) विनियम, 2019

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रूअप के संबंध में आयोग के दिनांक 27.02.2019 के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में आदेश
- ग्रिड से जुड़े सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की सेटिंग के लिए उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड और चयनित बोलीकर्ता के बीच मॉडल विद्युत क्रय करार के संबंध में उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग का अनुमोदन मांगने के लिए आवेदन के संबंध में आदेश
- निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए अपने दायित्व के कारण यूपीसीएल की नियत लागत को पूरा करने के लिए यूईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार का अवधारण

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए:

- पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (निर्बाध पहुंच) (संशोधन) विनियम, 2019
- पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन मानक) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019
- पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की निबंधन व शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020
- पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता सेवाओं से संबंधित अनुज्ञप्तिधारी के कार्यनिष्पादन मानक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020
- पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (नया कनेक्शन प्रदान करने के लिए व्यय की वसूली) (पहला संशोधन) विनियम, 2020

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) और वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा (एपीआर) के लिए सीईएससी लिमिटेड के आवेदन
- वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए डीपीएससी लिमिटेड (अब आईपीसीएल) के आवेदन
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए दिनांक 13.09.2018 के टैरिफ आदेश की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड की याचिका
- वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 05.09.2013 के वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा आदेश की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड की याचिका

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में स्थिति

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध – I)
2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (अनुबंध – II)
3. 31 मार्च, 2020 के अनुसार ऐपटेल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल के कार्य (अनुबंध – III)

5 केविविआ / एसईआरसी / जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची

विनियामक मंच के सदस्य [एफओआर] (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)		
विनियामक मंच के सदस्य		
01.	श्री पी.के. पुजारी	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
विनियामक मंच के सदस्य		
02.	श्री जस्टिस (रिटायर्ड) सी.वी. नागार्जुन रेड्डी	आंध्रप्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
03.		अरुणाचलप्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
04.	श्री सुभाषा चन्द्र दास	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
05.	श्री एस.के. नेगी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
06.	श्री डी.एस. मिश्रा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
07.	श्री जस्टिस (रिटायर्ड) सत्येन्द्र सिंह चौहान	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
08.	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
09.	श्री दिपिन्द्र सिंह धेसी	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11.	श्री अरबिंद प्रसार	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
12.	श्री एम.के. गोयल	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) गोवा एवं संघशासित प्रदेश
13.	श्री एन गंगोमसरत सिंह	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग मणिपुर एवं मिजोरम (एम एण्ड एम के लिए जेईआरसी)
14.	श्री शंभूदयाल मीणा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)

विनियामक मंच के सदस्य [एफओआर] (31.03.2020 की स्थिति के अनुसार)		
विनियामक मंच के सदस्य		
15.	श्री प्रेमनदीनराज	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
16.		मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)
17.	श्री आनंद बी. कुलकर्णी	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
18.	श्री पी. डब्ल्यू इंगटी	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)
19.	ईआर. इमलिकुमझुकओ	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)
20.	श्री यू.एन. बेहीरा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)
21.	सुश्री कुसुमजीत सिद्धू	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)
22.	श्री श्रीमत पाण्डेय	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
23.	श्री नंदा राम भट्टरई	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)
24.	श्री एम. चन्द्रशेखर	तमिल नाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
25.	श्री टी. श्रीरंगराव	तेलंगाना विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
26.	श्री डी. राधाकृष्णा	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
27.	श्री राज प्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
28.	श्री डी.पी. गैरोला सदस्य (विधि) / अध्यक्ष प्रभारी	उत्तराखण्ड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
29.	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. **46.96 लाख** की वित्तीय सहायता की राशि में से रु. **11.99 लाख** की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2020–21 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया हैः

क) 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन
20094111एएएएडीसी2382

हस्ता./–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.:

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि– रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	**3,70,10,643**	3,70,10,643
रिजर्व एवं अधिशेष	2	**4,73,94,323**	4,08,79,828
निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	3	**11,99,945**	–
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	**12,067,250**	88,52,422
कुल		**9,76,72,161**	8,67,42,893
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	**31,088**	38,749
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	**9,76,41,073**	8,67,04,144
कुल		**9,76,72,161**	8,67,42,893
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं खाते पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि– रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
फीस/अंशदान	7	**1,83,92,012**	1,74,00,000
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	**35,49,507**	25,10,339
अर्जित ब्याज	8	**53,42,342**	49,90,595
अन्य आय	9	–	–
कुल (क)		**2,72,83,861**	2,49,00,934
व्यय			
स्थापना व्यय	10	–	–
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**1,41,33,171**	1,39,96,608
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		**23,98,993**	18,02,255
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		**11,50,514**	7,08,084
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		**7,661**	16,629
पूर्व अवधि व्यय		–	–
कुल (ख)		**1,76,90,339**	1,65,23,576
(ए–बी) आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क–ख)		**95,93,522**	83,77,358
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		**30,79,027**	24,24,414
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		–	46,73,750
सामान्य रिजर्व कोध्से अंतरण		**65,14,495**	12,79,194
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		–	–
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखाओं पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 1 – कोरपस/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		**3,70,10,643**		3,70,10,643
जोडें: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	–		–	
जोड़/(घटा): आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	–	–	–	–
वर्ष के अंत में शेष		**3,70,10,643**		**3,70,10,643**

अनुसूची 2 –रिजर्व एवं अधिशेष:	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
1. रिजर्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
2. पूनर्मूल्यन रिजवर्ू				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
3. विशेष रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	–		–	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	–	–	–
4. सामान्य रिजर्व				
अंतिम खाते के अनुसार	**4,08,79,828**		3,96,00,634	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**65,14,495**		12,79,194	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	–	**4,73,94,323**	–	4,08,79,828
कुल		**4,73,94,323**		**4,08,79,828**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–	**हस्ता/–**	**हस्ता/–**
अनिल कपूर	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 094111		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 3 – निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	निधि–वार विवरण		
	योजना निधि		पूर्ववर्ती वर्ष
क) निधियों का आरंभिक शेष		0	2,02,724
ख) निधियों में परिवर्धन:			
i. दान/अनुदान	**46,96,220**		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	**53,232**	47,49,452	
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			**48,58,221**
कुल (क+ख)		47,49,452	**50,60,945**
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
– नियत आस्तियां	–		
– अन्य	–	–	–
कुल (i)		–	–
ii. राजस्व व्यय			
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	–		
– किराया	–		
– अन्य प्रशासनिक खर्चे	**35,49,507**	35,49,507	25,10,339
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		–	**25,50,606**
कुल (ii+iii)		**35,49,507**	**50,60,945**
कुल (ग) = (i + ii + iii)		**35,49,507**	**50,60,945**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)		**11,99,945**	**0**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 4 – चालू देयताएं और प्रावधान	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		–		–
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
3. प्राप्त अग्रिम		–		–
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याजः				
क) जमानती ऋण/उधार	–		–	
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार	–	–	–	–
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	–		–	
ख) अन्य	–	–	–	–
6. अन्य चालू देयताएं		–		–
कुल (क)		–		–
ख – प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष (वा.व. 2016–17 के लिए जुर्माने सहित)	**71,20,021**		46,95,607	
(ii) चालू वर्ष	**30,79,027**		24,24,414	
		1,01,99,048		71,20,021
2. ग्रेचुअटी		–		–
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		–		–
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		–		–
5. व्यापार वारंटियां/दावे		–		–
6. अन्यः				
(ii) प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**1,300**		1,270	
(iii) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	**25,000**		29,800	
(iv) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**2,18,508**		1,93,260	
(v) प्रतिदेय मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	–		2,93,271	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	**18,999**		18,949	
(viii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	**2,25,000**		4,36,515	
(viiii) देय अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	**4,05,000**		–	
(xi) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय	–		5,54,940	
(x) देय प्रशिक्षण व्यय (योजना निधि)	**7,66,578**		–	
(xi) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	**9,076**		3,941	
(xii) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	**1,54,570**		1,13,912	
(xiii) सीजीएसटी/एसजीएसटी/आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	**24,166**		65,366	
(xv) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	**6,505**		7,677	
(xvi) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय	**13,500**	**18,68,202**	13,500	17,32,401
कुल (ख)		**1,20,67,250**		88,52,422
कुल (क)+(ख)		**1,20,67,250**		**88,52,422**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची 5 – अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:											
क) पूर्ण स्वामित्व	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2. भवन:											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) पट्टे वाली भूमि पर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	52,023	–	–	52,023	29,705	3,348	–	–	33,053	**18,970**	22,318
4. वाहन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. फर्नीचर, फिक्सचर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6. कार्यालय उपस्कर	25,840	–	–	25,840	16,807	1,354	–	–	18,161	**7,679**	9,033
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	6,83,783	–	–	6,83,783	6,76,385	2,959	–	–	6,79,344	**4,439**	7,398
8. विद्युत अधिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
11. अन्य नियत आस्तियां	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चालू वर्ष का कुल	7,61,646	–	–	7,61,646	7,22,897	7,661	–	–	7,30,558	**31,088**	38,749
पूर्ववर्ती वर्ष	7,61,646	–	–	7,61,646	7,06,268	16,629	–	–	7,22,897	**38,749**	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन										–	–
कुल										31,088	38,749

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क – चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	–		–	
ख) खुले औजार	–		–	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	–		–	
अर्धनिर्मित उत्पादन	–		–	
कच्चा माल	–	–	–	–
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	–		18,200	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	–		(18,200)	
ख) अन्य	–	–	6,01,370	6,01,370
3. हाथ में नकदी शेष (चौकध्ड्राफ्टध्अग्रदाय सहित)		**24**		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ:				
– चालू खातों पर	–		–	
– जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	**3,70,10,644**		3,70,10,643	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	**4,86,00,000**		4,20,34,209	
– बचत खातों पर				
(i) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 000068)	**15,225**		–	
(ii) कार्पोरेशन बैंक (एसबी खाता सं. 1708 – विद्युत मंत्रालय)	**24,55,707**		12,000	
		8,80,81,576		7,90,56,852
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	–		–	
जमा खातों पर	–		–	
बचत खातों पर	–	–	–	–
5. डाकघर बचत खाते		–		–
कुल (क)		**8,80,81,600**		**79,6,58,246**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –6– चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख) ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियाँ				
1. ऋण :				
क) स्टाफ				
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	–		–	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–		–	
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :	–	–	–	–
क) पूंजीगत लेखा पर				
ख) पूर्व भुगतान	–		–	
ग) अन्य	–		–	
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)				
पूर्ववर्ती वर्ष	**3,000**		3,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया	**(3,000)**			
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस) :				
पूर्ववर्ती वर्ष	**33,06,549**		28,07,617	
चालू वर्ष	**5,33,881**		4,98,932	
(iii) आत्म मूल्यांकन कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	**7,89,008**		2,07,648	
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क		–		–
(v) जीएसटी (इनपुट) :				
चालू वर्ष	**4,89,581**		12,85,965	
जोड़ें: अग्रिम कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	**17,18,000**		17,18,000	
चालू वर्ष	**21,70,600**		–	
जोड़ें: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):				
चालू वर्ष	–		1,08,000	
जोड़ें: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस:				
चालू वर्ष	**60,000**	**90,67,619**	60,000	66,89,162
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	–		–	
ख) निवेशों पर – अन्य	**4,91,854**		3,56,736	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	–		–	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	–	**4,91,854**	–	3,56,736
4. प्राप्तियोग्य दावे		–		–
कुल (ख)		**95,59,473**		**70,45,898**
कुल (क+ख)		**9,76,41,073**		**8,67,04,144**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –7– शुल्क/अभिदान	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	–	–
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	**1,83,92,012**	1,74,00,000
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	–	–
4) परामर्शकारी शुल्क	–	–
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
प) आरटीआई शुल्क	–	–
कुल	**1,83,92,012**	**1,74,00,000**
नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाए		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –8– अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :		
क) अनुसूचित बैंकों में (टीडीएस – रु.5,33,881/–)	**53,38,616**	49,89,311
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) संस्थानों में	–	–
घ) अन्य	–	–
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंकों में	**3,726**	1,284
ख) गैर–अनुसूचित बैंकों में	–	–
ग) डाकघर बचत खाते	–	–
घ) अन्य	–	–
3. ऋणों पर रू		
क) कर्मचारी/स्टाफ	–	–
ख) अन्य	–	–
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज	–	–
कुल	**53,42,342**	**49,90,595**
नोट : स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –9– अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभः		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	–	–
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	–	–
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	–	–
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	–	–
4) विविध आय	–	–
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	–	–
कुल	–	–

अनुसूची –10– स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	–	–
ख) भत्ते एवं बोनस	–	–
ग) भविष्य निधि में अंशदान		–
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	–	–
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		–
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	–	–
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	–	–
कुल	–	–

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

31 मार्च, 2020 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि– रु. में)

अनुसूची –11– अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	–	–
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	**25,77,820**	27,01,722
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	–	–
घ) विद्युत एवं शक्ति	–	–
ङ) जल प्रभार	–	–
च) बीमा	–	–
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	–	–
ज) उत्पाद शुल्क	–	–
झ) किराया, दरें एवं कर	–	–
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	–	–
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	**19,549**	26,937
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**3,980**	2,96,796
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	**2,096**	37,557
ढ) सेमिनारध्कार्यशालाओं पर व्यय	**17,73,135**	19,91,018
ण) अभिदान व्यय	–	–
त) फीस पर व्यय	–	–
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	**25,000**	32,000
द) आतिथ्य व्यय	–	–
ध) व्यावसायिक प्रभार	**29,60,176**	26,02,531
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**3,000**	18,200
प) अपलिखित अशोध्य शेष	–	–
फ) पैकिंग प्रभार	–	–
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	–	–
भ) वितरण व्यय	–	–
म) विज्ञापन एवं प्रचार	**1,54,167**	64,294
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	**66,10,919**	61,66,000
कक) सचिवीय व्यय	–	–
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अतिरिक्त प्रावधान अपलिखित का निवल)	**2,329**	11,691
ii) वेबसाइट व्यय	–	27,000
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	–	20,862
iv) अपील के लिए फीस	**1,000**	–
कुल	**1,41,33,171**	**1,39,96,608**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता का लेखा–विवरण

(राशि– रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19
प्रारंभिक शेष	–	202,724
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज **(टीडीएस = रु. शून्य)**	53,232	58,221
वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निधि	46,96,220	48,00,000
कुल (क)	**47,49,452**	**50,60,945**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग:		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	11,50,500	18,02,255
क्षमता निर्माण	23,98,993	7,08,000
बैंक प्रभार	14	84
ब्याज अर्जित होने पर विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया	–	58,221
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता के लेखों का विवरण	–	24,92,385
कुल (ख)	**35,49,507**	**50,60,945**
कुल (क–ख)	**11,99,945**	–
शेष को अगले वर्ष में ले जाया गया	11,99,945	–

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. **लेखांकन की पद्धति**

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. **आय की मान्यता**

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. **नियत आस्तियां और मूल्यह्रास**

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. **अनुदान**

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. **कराधान**

प्रत्यक्ष करः–

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट और निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए संवीक्षा निर्धारण

(i) विनियामक फोरम ने 13.12.2011 का आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। विनियामक फोरम छूट के लिए सचिव, केविविआ/एफओआर की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), अपर आयकर आयुक्त (मुख्यालय – समन्वय) और अन्य आयकर अधिकारियों को पत्र भेजकर आयकर विभाग के साथ उत्साह से मामले को आगे बढ़ा रहा है। तथापि, अभी तक कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) अवर सचिव (आईटीए–I), सीबीडीटी, नई दिल्ली और एडीआईटी (ई), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 06.09.2012 एवं 19.02.2013 को सूचनाएं/दस्तावेज मंगवाए गए थे, जो कि क्रमशः दिनांक 05.10.2012 एवं 15.03.2013 को प्रस्तुत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2013–2014 के दौरान, वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2010–11 के लिए रु. 18,84,216/– की राशि आय एवं व्यय खाते में वसूली संदिग्ध समझी गई के रूप में उपबंधित की गई है।

(iii) एफओआर ने वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2015–16 के लिए छूट प्रदान करने की प्रत्याशा में शून्य आय की संगणना करते हुए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2014–15 के संबंध में मामला अभी भी आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट (जारी...)

(iv) छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016–17 (वि.व. 2015–16) के लिए रु. 25,03,750/– के कर की उगाही की है और रु.21,70,000/– का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) को अपील दायर की है।

(v) इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.07.2019 को केविविआ और विनियामक फोरम के उच्चतर अधिकारी अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से मिले, जहां विनियामक फोरम के लिए छूट हेतु अनुरोध के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, के.प्र.क.बो. ने बताया कि विनियामक फोरम को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है। अध्यक्ष, विनियामक फोरम/केविविआ की ओर से अध्यक्ष, के.प्र.क.बो. को दिनांक 11.09.2019 का अर्ध–सरकारी पत्र सकारात्मक निर्णय और विनियामक फोरम को छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध करते हुए भेजा गया। तथापि, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अतः ऐसा निश्चित नहीं है कि विनियामक फोरम को भविष्य में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान की जाएगी।

(vi) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 18 मार्च, 2020 की अधिसूचना द्वारा नई योजना अर्थात् ''विवाद से विश्वास योजना 2020'' आरंभ की। आरंभ की गई योजना प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के व्यवस्थापन के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित किसी भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 (और उसके बाद 30 जून, 2020 को या उससे पहले अतिरिक्त 10% का भुगतान करके) को या उससे पहले, जैसा भी मामला हो, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज के 25% का भुगतान करके किया जा सकता है। तथापि, इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित विनियामक फोरम की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और निर्धारण वर्ष 2016–17 (जैसा कि उपर्युक्त बिंदु (iv) में संदर्भित है) के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान किया जा सकता है और मामले को समाप्त किया जा सकता है।

6. **आकस्मिक देयताएं**

(i) वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2014–15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याज/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवा कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. **अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए उपबंध**

चालू वर्ष के दौरान, देनदार के लिए रु.3,000/– की राशि बट्टे खाते डाली गई है। (पूर्ववर्ती वर्ष – रु.18,200/–)।

8. **सेवानिवृत्ति लाभ**

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है / उपबंध नहीं किया गया है।

9. **ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश**

ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

10. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
(एफओआर)
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
(अनिल कपूर)
सचिव
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

विनियामक फोरम

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि– रु. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19	भुगतान	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19
1. आरंभिक शेषः			**1. निम्नलिखित को रिलीजः**		
(क) नकद शेष	**23.75**	**23.75**			
			भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	–	25,50,606.00
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाताः					
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत सह–ऑटो स्वीप खाता	**4,20,34,209.27**	4,34,04,839.27			
कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (योजना निधि)	**12,000.07**	28,69,530.17			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	**3,70,10,642.73**	3,70,10,642.73			
2. निम्नलिखित से रिलीजः			**(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय**	**17,44,830.00**	19,66,365.00
भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	**46,96,220.00**	48,00,000.00	**(ख) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)**	**26,50,180.00**	20,72,618.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्श		
			– फोरम की निधि	**66,10,919.00**	–
			– योजना निधि	**22,93,731.00**	40,75,700.50
			(घ) प्रशासनिक व्ययः		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**1,52,867.00**	63,024.00
			– अपील के लिए फीस	**1,000.00**	–
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	**116.82**	–
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	**13.88**	82.60
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**23,54,852.00**	25,05,199.00
			– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	–	–
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	**3,980.00**	3,525.00
			– व्यावसायिक प्रभार	**39,997.00**	24,397.00
			– टैलीफोन व्यय	**13,044.00**	19,260.00
			– यात्रा व्यय	**2,096.00**	37,557.00
			– वेबसाइट व्यय	–	13,500.00
			– अन्य व्यय :		
			– कैंटीन व्यय	–	21,528.00
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	**200.00**	200.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19	भुगतान	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19
			– टीडीएस एवं आयकर के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज	–	20,872.00
			– वसूली–योग्य ब्याज पर टीडीएस	–	6.00
			– कार्यालय व्ययध्लेखा परीक्षा व्यय	**714.00**	1,047.00
3. आयोग की प्राप्तियां			**3. (I) स्टाफ को अग्रिम**		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	**1,83,92,011.80**	1,68,00,000.00	(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(ख) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याजः			**(II) समायोजन/विप्रेषण/देयः**		
– फोरम की निधि	**26,01,466.00**	23,29,664.00	(क) प्रशासनिक व्यय	–	51,66,110.00
– **कोरपस निधि**	**25,47,218.00**	24,69,442.00	(ख) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**1,270.00**	1,316.00
(घ) बचत खातों से ब्याजरू			(ग) लेखा परीक्षा फीस	**19,800.00**	22,000.00
– फोरम की निधि	**3,726.00**	1,284.00	(घ) कैंटीन व्यय	–	3,302.00
– योजना निधि	**53,232.00**	58,221.00	(ङ) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	**1,93,260.00**	6,31,833.00
			(च) व्यवसायिक प्रभार	**18,949.00**	37,591.00
			(छ) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	**4,36,515.00**	2,40,230.00
			(ज) टेलीफोन व्यय	**6,865.00**	770.00
			(झ) प्रशिक्षण अग्रिम (फोरम की निधि)	**29,85,300.00**	55,49,400.00
			(ञ) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (योजना निधि) से ब्याज	–	–
			(ट) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं आत्म मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	**32,91,170.00**	24,44,948.00
			(ठ) जीएसटी (आउटपुट)	**12,60,330.00**	31,32,000.00
			(ड) जीएसटी (इनपुट)	**12,31,286.00**	15,17,938.00
			(ढ) बैठक के लिए अग्रिम	**1,52,000.00**	–
			(ण) अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	–	10,34,161.00
			(त) कार्यालय व्यय के लिए अग्रिम	**15,000.00**	–
			(थ) संविदा एवं व्यावसायिक फीस पर टीडीएस (निवल)	**1,10,051.00**	1,03,385.00
			(द) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**2,93,271.00**	–
			(ध) प्रशिक्षण व्यय	**5,54,340.00**	–
			(III) अन्य द्वाराः		
			(क) आयकर मांग (नि.व. 2016–17)	–	25,03,750.00
			(ख) बैठक के लिए अग्रिम	–	1,51,500.00

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19	भुगतान	चालू वर्ष 2019–20	पूर्ववर्ती वर्ष 2018–19
4. जमा प्राप्तियां:			**4. नियत आस्तियों पर व्ययः**		
			(क) कंप्यूटर	–	–
			(ख) प्रिंटर	–	–
5. विप्रेषण प्राप्तियां			**5. अंतिम शेषः**		
	–		**(क) नकद शेष**	**23.75**	23.75
			(ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाताः		
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	**4,86,15,225.25**	4,20,34,209.27
			कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता (योजना निधि)	**24,55,707.19**	12,000.07
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	**3,70,10,643.73**	3,70,10,642.73
6. अन्य प्राप्तियां					
– वसूली–योग्य ब्याज पर टीडीएस	–	5.00			
– प्राप्य सदस्यता फीस	**6,00,000.00**	9,06,000.00			
– बैठक के लिए अग्रिम	**1,23,695.00**	1,26,847.00			
– जीएसटी (इनपुट) दावा	–	7,61,461.00			
– जीएसटी पर टीडीएस (निवल)	–	74,579.00			
– श्रम (आउटसोर्सिंग)	**1,370.00**	3,36,058.00			
– प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	**29,85,300.00**	–			
– कार्यालय व्यय के लिए अग्रिम	**2,433.00**	–			
– जीएसटी (आउटपुट)	**34,56,000.00**	**30,24,000.00**			
कुल	**11,45,19,547.62**	**11,49,72,596.92**	**कुल**	**11,45,19,547.62**	**11,49,72,596.92**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 17 अगस्त, 2020
यूडीआईएन सं.: 20094111एएएएडीसी2382

अनुबंध –I

केविविआ का टैरिफ अनुसूची उत्पादन

क. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए थर्मल पावर स्टेशन का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र.सं.	स्टेशन के नाम	31.03.2020 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय नियत प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा) @ 85% एसजी	ईसीआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
एनटीपीसी उत्पादन केन्द्र					
1	सिंगरोली एसटीपीएस	2000	0.65	1.36	2.01
2	रिहंद एसटीपीएस –I	1000	0.84	1.36	2.21
3	रिहंद एसटीपीएस – II	1000	0.70	1.36	2.06
4	रिहंद एसटीपीएस – III	1000	1.44	1.34	2.78
5	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार – I	420	1.08	3.53	4.60
6	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार – II	420	1.01	3.57	4.58
7	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार – III	210	1.34	3.54	4.88
8	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार – IV	500	1.55	3.39	4.95
9	टांडा – I	440	1.26	3.17	4.43
10	टांडा – II	660	1.60	2.66	4.26
11	एनसीटीपीएस दादरी – I	840	0.97	4.13	5.10
12	एनसीटीपीएस दादरी– II	980	1.43	3.75	5.18
13	कोरबा एसटीपीएस – I–II	2100	0.68	1.36	2.04
14	कोरबा एसटीपीएस – III	500	1.38	1.33	2.71
15	सिपत एसटीपीएस – I	1980	1.30	1.43	2.73
16	सिपत एसटीपीएस – II	1000	1.23	1.47	2.70
17	विंध्याचल एसटीपीएस – I	1260	0.85	1.78	2.63
18	विंध्याचल एसटीपीएस – II	1000	0.70	1.70	2.40
19	विंध्याचलएसटीपीएस – III	1000	1.04	1.70	2.74
20	विंध्याचलएसटीपीएस – IV	1000	1.56	1.68	3.24
21	विंध्याचलएसटीपीएस – V	500	1.67	1.71	3.38
22	लारा	800	1.96	2.46	4.42
23	सोलापुर	1320	1.72	3.42	5.14
24	मौदा एसटीपीएस – I	1000	1.87	3.27	5.15
25	मौदा एसटीपीएस –II	1320	1.48	3.22	4.70
26	गाडरवारा	800	1.98	3.32	5.31
27	खरगोन	660	2.06	2.93	4.99
28	तलचर एसटीपीएस – I	1000	0.96	2.02	2.98
29	तलचर एसटीपीएस – II	2000	0.71	2.00	2.71
30	तलचर टीपीएस	460	1.44	1.87	3.31
31	दर्लिपाली	800	2.11	1.19	3.30

क्र.सं.	स्टेशन के नाम	31.03.2020 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय नियत प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा) @ 85% एसजी	ईसीआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
32	कहलगाँव एसटीपीएस –I	840	1.05	2.19	3.24
33	कहलगाँव एसटीपीएस – II	1500	1.09	2.08	3.17
34	फरक्का एसटीपीएस – I–II	1600	0.82	2.54	3.36
35	फरक्का एसटीपीएस – III	500	1.49	2.50	3.99
36	बाढ़ एसटीपीएस – II	1320	1.84	2.46	4.30
37	बरौनी – I	220	1.15	3.21	4.37
38	बरौनी – II	250	2.38	2.27	4.65
39	बोंगेगाँव टीपीएस	750	2.40	3.35	5.75
40	रामागुंडम एसटीपीएस – I–II	2100	0.73	2.60	3.33
41	रामागुंडम एसटीपीएस – III	500	0.77	2.56	3.32
42	सिम्हादरी एसटीपीएस – I	1000	0.94	3.28	4.22
43	सिम्हादरी एसटीपीएस –II	1000	1.52	3.22	4.74
44	कुदगी	2400	1.66	3.71	5.37
2019.20 के लिए एनटीपीसी गैस उत्पादन टैरिफ					
45	फरीदाबाद	431.59	0.74	3.17	3.91
46	औरैया	663.36	0.63	4.07	4.70
47	दादरी	829.78	0.58	4.42	5.00
48	अंता	419.33	0.71	5.66	6.37
49	गंधार	657.39	1.06	3.05	4.11
50	कवास	656.20	0.84	2.84	3.68
51	कायमकुलम	359.58	1.14	अनुसूचित नहीं है।	
2019.20 के लिए एनटीपीसी – जेवी उत्पादन टैरिफ					
52	एमयूएनपीएल, मेजा	660	2.28	3.27	5.55
53	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.62	3.81	5.43
54	एनटीईसीएल, वेल्यूर	1500	1.79	3.84	5.62
55	बीआरबीसीएल, नबीनगर	750	2.49	2.34	4.83
56	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660	2.53	2.09	4.63
57	केबीयूएनएल, कांती – I	220	1.10	3.26	4.36
58	केबीयूएनएल, कांती – II	390	2.73	2.73	5.46
मैथों पावर लिमिटेड					
59	मैथों पावर लिमिटेड	1050	1.75	2.68	4.43
एनएलसी स्टेशन					
60	टीएस – II स्टे–1	630	2.706	0.708	3.414
61	टीएस – II स्टे–2	840	2.711	0.734	3.445
62	टीएस – आइई	420	2.504	0.963	3.467

क्र.सं.	स्टेशन के नाम	31.03.2020 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय नियत प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा) @ 85% एसजी	ईसीआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
63	बीटीपीएस	250	1.107	2.302	3.409
64	टीएस – 2ई	500	2.534	2.302	4.836
65	एनटीपीएल	1000	2.967	1.549	4.516
66	एनएनटीपीपी	500	2.301	1.729	4.030
	डीवीसी				
67	बीटीपीएस बी	630.00	0.77	2.44	3.21
68	सीटीपीएस यूनिट –3	210.00	1.05	0.00	1.05
69	डीटीपीएस	210.00	0.92	2.37	3.29
70	एमटीपीएस (1–3)	630.00	0.85	3.27	4.12
71	एमटीपीएस (4)	210.00	0.84	3.27	4.11
72	एमटीपीएस (5–6)	500.00	1.41	3.03	4.43
73	एमटीपीएस (7–8)	1000.00	1.45	2.85	4.30
74	सीटीपीएस (7–8)	500.00	1.58	2.37	3.94
75	डीएसटीपीएस	1000.00	1.57	2.90	4.46
76	केटीपीएस	1000.00	1.67	2.66	4.33
77	आरटीपीएस	1200.00	1.65	2.96	4.61
78	बीटीपीएस ए	500.00	2.19	2.20	4.40
	पीपीसीएल बवाना				
79	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.32	3.67	4.99
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि., पलटाना परियोजना				
80	ओटीपीसी टीपीएस	671.2	1.671	1.673	3.344
	जीएमआर पावर				
81	जीकेईएल टीपीएस	1050	2.28	1.85	4.13
82	जीडब्ल्यूईएल	372	1.95	2.45	4.40
	नीपको गैस प्लांट				
83	एजीबीपी	291.00	1.99	1.99	3.98
84	एजीटीसीसीपी	135.00	1.91	2.58	4.49
85	टीजीबीपी	101.00	2.58	1.65	4.23
	यूपीसीएल				
86	यूडीयूपीआई टीपीएस	1200	1.455	3.720	5.175

ख. हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों का समन्वित टैरिफ

उत्पादन कंपनी का नाम	स्टेशन	प्रकार	संस्थापित क्षमता	डिजाइन ऊर्जा	वार्षिक नियत प्रभार (₹/करोड़)	समन्वित टैरिफ (₹/किलोवाट घण्टा)
एनएचपीसी						
1	बैरास्यूल	पोंडेज	180	779	138	2.03
2	लोकटक	स्टोरेज	105	448	150	3.84
3	सलाल	आरओआर	690	3082	331	1.23
4	टनकपुर	आरओआर	123	452	130	3.29
5	चमेरा –I	पोंडेज	540	1665	330	2.28
6	यूरी –I	आरओआर	480	2587	370	1.64
7	रंगित	पोंडेज	60	339	112	3.80
8	चमेरा –II	पोंडेज	300	1500	262	2.01
9	धौलीगंगा –I	पोंडेज	280	1135	240	2.43
10	दुलहस्ती	आरओआर	390	1907	912	5.50
11	तिस्ता –V	पोंडेज	510	2572	520	2.32
12	सेवा –II	पोंडेज	120	534	199	4.33
13	चमेरा –III	पोंडेज	231	1086	405	4.25
14	चटक	आरओआर	44	213	145	7.85
15	यूरी –II	आरओआर	240	1124	469	4.86
16	नीमूबाज़गो	पोंडेज	45	239	176	8.46
17	तिस्ता एलडीपी–III	पोंडेज	132	594	361	6.20
18	तिस्ता एलडीपी IV	पोंडेज	160	581	162	2.56
19	पारबती –III	आरओआर	520	1977	520	3.02
एनएचडीसी						
1	इंदिरा सागर	स्टोरेज	1000	2247	529	2.70
2	ओमकारेश्वर	स्टोरेज	520	957	398	4.78
टीएचडीसी						
1	टिहरी स्टेज –I	स्टोरेज	1000	2767	1292	5.36
2	कोटेश्वर	पोंडेज के साथ आरओआर	400	1155	466	4.63
एवजेवीएनएल						
1	नाफ्ताझाकरी	आरओआर	1500	6924	1345	2.23
2	रामपुर	आरओआर	412	1878	697	4.27
नीपको						
1	कोपिली एचईपी स्टेज–I	स्टोरेज	200	1186	120	1.16
2	कोपिली एचईपी स्टेज–II	स्टोरेज	25	86	12	1.63
3	खंदोंग	स्टोरेज	50	278	44	1.81
4	दोयांग	स्टोरेज	75	227	108	5.48
5	रंगानदी	आरओआर	420	1874	273	1.67

*** उक्त डाटा वर्ष 2018–19 से संबंधित है। चूंकि कोई भी टैरिफ आयोग द्वारा अभी तक वर्ष 2019–20 की अनुमति नहीं दी है। उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जैसी भी स्थिति हो, आयोग द्वारा यथाअनुमोदित क्रमशः पारेषण प्रभारों या क्षमता प्रभारों में दीर्घकालिक ग्राहकों या हिताधिकारियों को बिल करना जारी रहेगा और टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 10(4) के अनुसार आयोग द्वारा पारेषण प्रभारों या आंतरिक क्ष्मता प्रभारों के अनुमोदन तक 01.04.2019 से आरंभ होने वाली अवधि के लिए 31.03.2019 को लागू होगी।**

ग. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के लिए जेनेरिक टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2018–19) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2019–20) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो पावर परियोजना		
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5एमडब्ल्यू से कम)	5.11	5.27
एचपी, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य (5एमडब्ल्यू से 25एमडब्ल्यू)	4.32	4.44
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	6.05	6.23
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.07	5.21

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत (रुपये / किलोवाट घण्टा)	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.82	4.82	7.65	0.11	7.53
हरियाणा	2.88	5.49	8.37	0.11	8.25
महाराष्ट्र	2.89	5.61	8.50	0.11	8.39
पंजाब	2.90	5.74	8.64	0.11	8.53
राजस्थान	2.82	4.79	7.61	0.11	7.50
तमिलनाडु	2.82	4.74	7.56	0.11	7.45
उत्तर प्रदेश	2.83	4.91	7.74	0.11	7.62
अन्य	2.85	5.16	8.01	0.11	7.89

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत (रुपये / किलोवाट घण्टा)	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ) (रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.98	4.93	7.91	0.13	7.78
हरियाणा	3.03	5.61	8.65	0.13	8.52
महाराष्ट्र	3.04	5.74	8.79	0.13	8.66
पंजाब	3.05	5.87	8.93	0.13	8.80
राजस्थान	2.97	4.90	7.88	0.13	7.75
तमिलनाडु	2.97	4.85	7.82	0.13	7.70
उत्तर प्रदेश	2.98	5.02	8.00	0.13	7.88
अन्य	3.01	5.28	8.28	0.13	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.93	4.82	7.76	0.13	7.63
हरियाणा	2.99	5.49	8.48	0.13	8.35
महाराष्ट्र	3.00	5.61	8.61	0.13	8.49
पंजाब	3.01	5.74	8.75	0.13	8.63
राजस्थान	2.93	4.79	7.72	0.13	7.60
तमिलनाडु	2.93	4.74	7.67	0.13	7.55
उत्तर प्रदेश	2.94	4.91	7.85	0.13	7.72
अन्य	2.96	5.16	8.12	0.13	7.99

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	3.10	4.93	8.03	0.14	7.89
हरियाणा	3.15	5.61	8.77	0.14	8.63
महाराष्ट्र	3.16	5.74	8.91	0.14	8.77
पंजाब	3.18	5.87	9.05	0.14	8.91
राजस्थान	3.09	4.90	8.00	0.14	7.86
तमिलनाडु	3.09	4.85	7.94	0.14	7.81
उत्तर प्रदेश	3.10	5.02	8.12	0.14	7.99
अन्य	3.13	5.28	8.40	0.14	8.27

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.82	4.74	7.55	0.11	7.44
हरियाणा	2.87	5.39	8.26	0.11	8.15
महाराष्ट्र	2.88	5.51	8.39	0.11	8.28
पंजाब	2.89	5.64	8.53	0.11	8.41
राजस्थान	2.81	4.71	7.52	0.11	7.40
तमिलनाडु	2.81	4.66	7.47	0.11	7.35
उत्तर प्रदेश	2.82	4.82	7.64	0.11	7.53
अन्य	2.84	5.07	7.91	0.11	7.79

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.97	4.84	7.81	0.13	7.69
हरियाणा	3.02	5.51	8.54	0.13	8.41
महाराष्ट्र	3.04	5.64	8.68	0.13	8.55
पंजाब	3.05	5.77	8.81	0.13	8.69
राजस्थान	2.97	4.81	7.78	0.13	7.65
तमिलनाडु	2.96	4.77	7.73	0.13	7.60
उत्तर प्रदेश	2.98	4.93	7.91	0.13	7.78
अन्य	3.00	5.18	8.18	0.13	8.05

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.93	4.74	7.66	0.13	7.54
हरियाणा	2.98	5.39	8.37	0.13	8.25
महाराष्ट्र	2.99	5.51	8.50	0.13	8.38
पंजाब	3.00	5.64	8.64	0.13	8.51
राजस्थान	2.92	4.71	7.63	0.13	7.50
तमिलनाडु	2.92	4.66	7.58	0.13	7.45
उत्तर प्रदेश	2.93	4.82	7.75	0.13	7.63
अन्य	2.95	5.07	8.02	0.13	7.89

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	3.09	4.84	7.94	0.14	7.80
हरियाणा	3.15	5.51	8.66	0.14	8.52
महाराष्ट्र	3.16	5.64	8.80	0.14	8.66
पंजाब	3.17	5.77	8.93	0.14	8.80
राजस्थान	3.09	4.81	7.90	0.14	7.76
तमिलनाडु	3.08	4.77	7.85	0.14	7.71
उत्तर प्रदेश	3.10	4.93	8.03	0.14	7.89
अन्य	3.12	5.18	8.30	0.14	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बगासे आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्रप्रदेश	3.23	3.13	6.36	0.17	6.19
हरियाणा	2.89	4.45	7.34	0.15	7.19
महाराष्ट्र	2.59	4.38	6.98	0.13	6.85
पंजाब	2.85	3.91	6.76	0.15	6.61
तमिलनाडु	2.51	3.37	5.88	0.13	5.75
उत्तर प्रदेश	3.26	3.49	6.75	0.17	6.58
अन्य	2.84	3.79	6.63	0.15	6.48

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2019–20)	लागू शुल्क दर (वित्तीय वर्ष 2019–20)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.62	4.40	7.02	0.08	6.94
हरियाणा	2.68	5.01	7.68	0.08	7.60
महाराष्ट्र	2.68	5.12	7.81	0.08	7.72
पंजाब	2.69	5.24	7.93	0.08	7.85
राजस्थान	2.62	4.37	6.99	0.08	6.91
तमिलनाडु	2.62	4.33	6.95	0.08	6.86
उत्तर प्रदेश	2.63	4.48	7.11	0.08	7.02
अन्य	2.65	4.71	7.36	0.08	7.27
बायोगैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.43	4.40	7.83	0.19	7.64

एसईआरसी/जेईआरसी के टैरिफ आदेशों को जारी करने की समयबद्धता

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	टैरिफ आदेश जारी करने की तिथि – विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता
1	अंदमान एवं निकोबार	विद्युत विभाग, अंदमान एवं निकोबार प्रशासन (ईडी एएण्डएन)	31/मार्च/2019	20/मई/2019	01/जून/2019
2	आंध्रा प्रदेश	दक्षिणी पावर वितरण कंपनी लि. (एसपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	22/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
3	आंध्रा प्रदेश	पूर्वी पावर वितरण कंपनी लि. ईपीडीसीएल	31/मार्च/2019	22/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
4	आरूणांचल प्रदेश	विद्युत प्रभाग, अरुणाचल प्रदेश (डीओपी, एपी)	31/मार्च/2019	31/मई/2018	
5	असम	असम पावर वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	01/मार्च/2019	01/अप्रैल/2019
6	बिहार	उत्तर बिहार पावर वितरण कंपनी लि. (एनबीपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	25/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
7	बिहार	दक्षिणी बिहार पावर वितरण कंपनी लि. (एसबीपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	25/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी)	31/मार्च/2019	20/मई/2019	01/जून/2019
9	छत्तीसगडढ़	छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी लि. (सीएसपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	28/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	31/मार्च/2019	31/जुलाई/2019	01/अगस्त/2019
11	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	31/मार्च/2019	31/जुलाई/2019	01/अगस्त/2019
12	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लि. (टीपीडीडीएल)	31/मार्च/2019	31/जुलाई/2019	01/अगस्त/2019
13	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली पावर वितरण कार्पोरेशन लि. (डीएनएचपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	20/मई/2019	01/जून/2019
14	दमन एवं दीव	दमन एवं दीव विद्युत विभाग (ईडी डीडी)	31/मार्च/2019	20/मई/2019	01/जून/2019
15	गोवा	गोवा, विद्युत विभाग (ईडीजी)	31/मार्च/2019	20/मई/2019	01/जून/2019
16	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लि. (डीजीवीसीएल)	31/मार्च/2019	24/अप्रैल/2019	01/मई/2019
17	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लि. (एमजीवीसीएल)	31/मार्च/2019	24/अप्रैल/2019	01/मई/2019
18	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लि. (यूजीवीसीएल)	31/मार्च/2019	24/अप्रैल/2019	01/मई/2019
19	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि. (पीजीवीसीएल)	31/मार्च/2019	24/अप्रैल/2019	01/मई/2019
20	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (यूएचबीवीएनएल)	31/मार्च/2019	07/मार्च/2019	01/मई/2019
21	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (डीएचबीवीएनएल)	31/मार्च/2019	07/मार्च/2019	01/मई/2019
22	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. (एचपीएसईबीएल)	31/मार्च/2019	29/जून/2019	01/जुलाई/2019
23	झारखण्ड	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि. (जेबीवीएनएल)	31/मार्च/2019	28/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	टैरिफ आदेश जारी करने की तिथि – विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता
24	कर्नाटक	बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (बीईएससीओएम)	31 / मार्च / 2019	30 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019
25	कर्नाटक	चमुण्डेश्वरी विद्युत आपूर्ति कार्पोरेशन लि. (सीईएससी)	31 / मार्च / 2019	30 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019
26	कर्नाटक	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (जीईएससीओएम)	31 / मार्च / 2019	30 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019
27	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (एचईएससीओएम)	31 / मार्च / 2019	30 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019
28	कर्नाटक	मंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (एमईएससीओएम)	31 / मार्च / 2019	30 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019
29	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लि. (केएसईबीएल)	31 / मार्च / 2019	08 / जुलाई / 2019	08 / जुलाई / 2019
30	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप संघशासित (एलईडी)	31 / मार्च / 2019	20 / मई / 2019	01 / जून / 2019
31	मध्यप्रदेश	सेन्ट्रल डिस्कॉम	31 / मार्च / 2019	08 / अगस्त / 2019	17 / अगस्त / 2019
32	मध्यप्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	31 / मार्च / 2019	08 / अगस्त / 2019	17 / अगस्त / 2019
33	मध्यप्रदेश	पश्चिम डिस्कॉम	31 / मार्च / 2019	08 / अगस्त / 2019	17 / अगस्त / 2019
34	महाराष्ट्र[2]	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल)	31 / मार्च / 2019	12 / सितंबर / 2018	12 / सितंबर / 2018
35	मणिपुर	मणीपुर राज्य पावर वितरण कंपनी लि. (एमएसपीडीसीएल)	31 / मार्च / 2019	26 / मार्च / 2019	01 / अप्रैल / 2019
36	मेघालय[3]	मेघालय पावर वितरण कार्पोरेशन लि. (एमईपीडीसीएल)	31 / मार्च / 2019	31 / मार्च / 2018	01 / अप्रैल / 2019
37	मिजोरम	मिजोरम, पावर एवं विद्युत विभाग (पीएण्डईडी)	31 / मार्च / 2019	22 / मार्च / 2019	01 / अप्रैल / 2019
38	नागालैण्ड	नागालैंड, विद्युत विभाग (डीपीएन)	31 / मार्च / 2019	23 / अप्रैल / 2019	01 / अप्रैल / 2019
39	उड़ीसा	केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटी (सीईएसयू)	31 / मार्च / 2019	29 / मार्च / 2019	01 / जून / 2019
40	उड़ीसा	उड़ीसा उत्तर पूर्व विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (एनईएससीओ)	31 / मार्च / 2019	29 / मार्च / 2019	01 / जून / 2019
41	उड़ीसा	साउथको	31 / मार्च / 2019	29 / मार्च / 2019	01 / जून / 2019
42	उड़ीसा	उड़ीसा पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (डब्ल्यूईएससीओ)	31 / मार्च / 2019	29 / मार्च / 2019	01 / जून / 2019
43	पुडुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग (पीईडी)	31 / मार्च / 2019	20 / मई / 2019	01 / जून / 2019
44	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लि. (पीएसपीसीएल)	31 / मार्च / 2019	27 / मई / 2019	01 / जून / 2019
45	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. (एवीवीएनएल)	31 / मार्च / 2019	06 / फरवरी / 2020	01 / फरवरी / 2020
46	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेडीवीवीएनएल)	31 / मार्च / 2019	06 / फरवरी / 2020	01 / फरवरी / 2020
47	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जेवीवीएनएल)	31 / मार्च / 2019	06 / फरवरी / 2020	01 / फरवरी / 2020
48	सिक्किम	सिक्किम, ऊर्जा एवं पावर विभाग (ईपीडीएस)	31 / मार्च / 2019	29 / मई / 2019	01 / अप्रैल / 2019

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	टैरिफ आदेश जारी करने की तिथि – विनियम के अनुसार	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तिथि	आदेश की प्रयोज्यता
49	तमिलनाडु[4]	तमिल नाडु उत्पादन एवं वितरण कार्पोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ)	31/मार्च/2019		–
50	तेलंगाना[5]	तेलंगाना उत्तरी पावर वितरण कंपनी लि. (टीएसएनपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	29/अप्रैल/2020	–
51	तेलंगाना[5]	तेलंगाना दक्षिणी पावर वितरण कंपनी लि. (टीएसएनपीडीसीएल)	31/मार्च/2019	29/अप्रैल/2020	–
52	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. (टीएसईसीएल)	31/मार्च/2019	01/सितंबर/2020	–
53	उत्तर प्रदेश[6]	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. (डीवीवीएनएल)	31/मार्च/2019	03/सितंबर/2019	03/सितंबर/2020
54	उत्तर प्रदेश[6]	कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (केईएससीओ)	31/मार्च/2019	03/सितंबर/2019	–
55	उत्तर प्रदेश[6]	मध्यांचल विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (एमवीवीएनएल)	31/मार्च/2019	03/सितंबर/2019	–
56	उत्तर प्रदेश[6]	पश्चिमांचल विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (पीवीवीएनएल)	31/मार्च/2019	03/सितंबर/2019	–
57	उत्तर प्रदेश[6]	पूर्वांचल विद्युत आपूर्ति कंपनी लि. (पीयूवीवीएनएल)	31/मार्च/2019	03/सितंबर/2019	–
58	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि. (यूपीसीएल)	31/मार्च/2019	27/फरवरी/2019	01/अप्रैल/2019
59	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	31/मार्च/2019		

1. एपीएसईआरसी ने 06.09.2019 को अगले आदेश आने तक वित्तीय वर्ष 2018–19 के टैरिफ को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है।

2. आयोग ने एमवाईटी टैरिफ आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–2017 से वित्तीय वर्ष 2019–20 की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ को अनुमोदन प्रदान किया। वित्तीय वर्ष 2018–2019 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पुनरीक्षित टैरिफ के साथ दिनांक 12.09.2018 को एमटीआर आदेश जारी किया गया है।

3. आयोग द्वारा दिनांक 31.03.2018 को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए टैरिफ आदेश जारी किया गया। यह आदेश 01 अप्रैल 2018 से प्रभावी था और 31 मार्च 2019 तक या अगले टैरिफ आदेश तक प्रभावी बना रहेगा। कोई आदेश वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जारी नहीं किया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।

5. आदेश के पैरा 5.19.2 के अनुसार "जैसे ही वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के कुछ दिवस बीत जाते हैं, आयोग डिस्कोम को इस आदेश में यथा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की चौथी नियंत्रण अवधि के शेष वर्षों के लिए व्हीलिंग टैरिफ (व्हीलिंग प्रभार और व्हीलिंग हानियां) की उगाही का निर्देश देते हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए व्हीलिंग टैरिफ (व्हीलिंग प्रभार और व्हीलिंग हानियां) दिनांक 08.05.2020 से लागू हैं।

6. आदेश के अध्याय–11 के अनुसार "इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ, टैरिफ के ऐसे प्राकशन की तारीख के सात दिवस बाद से प्रभावी होगी"।

7. वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए टैरिफ आदेश जारी नहीं किया गया।

अनुबंध –III

सीजीआरएफ और ओमबडसमैन की कार्यप्रणाली

क्र.सं.	राज्य	सीजीआरएफ की रिक्तियों का स्थिति	ओमबडसमैन की रिक्तियों की स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश	सदस्य (लेखा), एपीईपीडीसीएल, सदस्य (वित्त), एपीएसपीडीसीएल और सदस्य (तकनीकी), एपीएसपीडीसीएल के पद हेतु तीन रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
2.	बिहार	पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया में सदस्य पद के लिए 26.2.2013, 23.10.17, 23.10.2017, 23.10. 2017, 23.10.2017 से पांच रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
3.	छत्तीसगढ़	21.12.2017 से सदस्य, जगदलपुर के पद हेतु एक रिक्ति।	कोई रिक्ति नहीं।
4.	जेईआरसीएस गोवा एवं सभी संघशासित प्रदेश	गोवा राज्य और संघशासित प्रदेश सदस्य (अनुज्ञप्तिधारी) पद के लिए चार रिक्तियां और अध्यक्ष पद हेतु तीन रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
5.	कर्नाटक	कोई रिक्ति नहीं।	09.03.2020 से रिक्त
6.	तमिल नाडु	9.1.2020, 1.7.2019, 25.11.2019, 10.10.2019, 7.5.2019 और 26.6.2019 चैन्नई ईडीसी दक्षिण–II, तिरुपत्तूर ईडीसी.1, कांचीपुर ईडीसी.1, धरमपुरी ईडीसी.1, पल्लादम ईडीसी.1 और तिरुवरुर ईडीसी.1 में सदस्य पद हेतु छः रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
7.	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य में अध्यक्ष पद हेतु तीन रिक्तियां और सदस्य पद हेतु तीन रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
8.	उत्तराखण्ड	सीजीआरएफ देहरादून, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी) पद हेतु छः रिक्तियां।	कोई रिक्ति नहीं।
9.	उत्तर प्रदेश	सदस्य (तकनीकी) पद हेतु पाँच रिक्तियां और एक रिक्ति ज्यूडिशियल सदस्य हेतु।	कोई रिक्ति नहीं।

II सीजीआरएफ द्वारा शिकायत के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	असम	एपीडीसीएल सिलचर, एपीडीसी डिब्रूगढ़, एपीडीसीएल तेजपुर, एपीडीसीएल गुवाहाटी, एपीडीसीएल जोरहाट, एपीडीसीएल नागांव, एपीडीसीएल रंगिया	7	6	12	10	8	3	9
2	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल / त्रिपुरा / आंध्र प्रदेश	2	191	304	360	135	115	85
		एपीईपीडीसीएल / विशाखापत्तनम		145	322	405	62	33	63
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहारलगून, पासीघाट, मिआओ दिरांग, ज़ीरो, आलो, तेजू	7	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया	5	1052	540	501	1090	709	466
5	छत्तीसगढ़		5	36	169	166	39	20	307
6	दिल्ली	टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी	4	266	398	384	312	83	193
7	गुजरात	पीजीवीसीएल राजकोट, पीजीवीसीएल भावनगर, पीजीवीसीएल भुज, यूजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसी, टीपीएल–अहमदाबाद, टीपीएल सूरत	8	378	581	866	371	64	271
8	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	2	29	230	85	174	2	46
		यूएचबीवीएनएल		28	535	490	73	0	70
9	हिमाचल प्रदेश	कसुमति, शिमला	1	119	49	65	103	68	24

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
10	झारखण्ड	सेल बोकारो, जुस्को, टाटा स्टील लि., झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि., विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाईबासा, दुमका विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, हजारीबाग, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जेएसईबी, मेदीनीनगर, दामोदर वैली	9	84	25	23	92	72	134
11	(जेईआरसी) मणिपुर एवं मिजोरम	पीएण्डई विभाग, सीजीआरएफ, मिजोरम, मणिपुर राज्य पावर वितरण कंपनी लि. (एमएसपीडीसीएल), सीजीआरएफ	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा	गोवा, लक्षद्वीप, दमन एण्ड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप	9	15	273	292	132	56	157
13	कर्नाटक	बीईएससीओएम, एमईएससीओएम, एचईएससीओएम, जीईएससीओएम, सीईएससी	5	319	206	97	328	218	169
14	केरल	सीजीआरएफ कोट्टारक्कारा, सीजीआरएफ एर्नाकुलम, सीजीआरएफ कोझीकोड, सीजीआरएफ तृश्शूर, सीजीआरएफ त्रिवेंद्रम, सीजीआरएफ कोच्चि, सीजीआरएफ मुनार	7	91	421	448	64	52	133
15	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ जबलपुर, ईसीजीआरएफ इंदौर, ईसीजीआरएफ भोपाल	3	526	2122	2035	610	124	231

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
16	महाराष्ट्र	भांडुप अर्बन जोन, कोल्हापुर जोन, नासिक जोन, कांकण जोन, लातुर जोन, औरंगाबाद जोन, अमरावती जोन, पुणे जोन, नागपुर जोन, गोंदिया जोन, कल्याण जोन, जलगांव जोन, नांदेड जोन, बारामती जोन, चंद्रापुर जोन, अकोला जोन, बीईएसटी अंडरटेकिंग, एईएमएल–डी'ए टीपीसी–डी, माइंडस्पेस, गीगाप्लेक्स, एनयूपीएलआईपी ('एईएमएल–डी को पहले एफइंफ्रा–डी के नाम से जाना जाता था।)	22	560	432	238	546	394	211
17	मेघालय	मेघालय, सीजीआएफ	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	नागालैंड	लागू नहीं।		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	उड़ीसा	भुवनेश्वर, खुर्दा, कटक, देनकानल, पारादीप, राउरकेला, बुर्ला, बोलनगीर, बालासोर, जयपुर रोड, ब्रह्मपुर, जेयपोर	12	416	7189	7480	708	19	741
20	पंजाब	पीएसपीसीएल, पटियाला	2	42	391	364	69	15	110
		लुधियाना		45	456	431	70	42	102
		कुल		**87**	**847**	**795**	**139**	**57**	**212**
21	राजस्थान	अजमेर, जयपुर, जोधपुर	3	9252	40048	41883	9870	471	1430
22	सिक्किम	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
23.	तमिलनाडु	चेंगलापट्टू ईडीसी, चेन्नई ईडीसी (उत्तर) चेन्नई ईडीसी (पश्चिम), चेन्नई ईडीसी सेन्ट्रल चेन्नई ईडीसी / दक्षिण–I, चेन्नई ईडीसी–दक्षिण–II, कोयम्बत्तूर ईडीसी / मेट्रो, कोयम्बत्तूर ईडीसी / उत्तर, कोयम्बत्तूर ईडीसी, दक्षिण कड्डालोर ईडीसी, धरमपुरी ईडीसी, डिगीगुल ईडीसी, इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, कल्लाकुरुचि ईडीसी, कांचीपुरम ईडीसी, कन्याकुमारी ईडीसी, करुर ईडीसी, कृष्णागिरी ईडीसी, मदुरई ईडीसी, मदुरई ईडीसी / मेट्रो, मेत्तूर ईडीसी, नागापट्टिनम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, नीलगिरी ईडीसी, पल्लादम ईडीसी, पैरामब्लूर ईडीसी, पुडुकोट्टि ईडीसी, रामनाथपुरम ईडीसी, सलेम ईडीसी, सिवागंगई ईडीसी, तंजावुर ईडीसी, टीएचईएनआई विद्युत वितरण सर्किल तिरुपत्तूर ईडीसी, तिरुनेलवेली ईडीसी	44	183	1456	1403	236	74	200
24	त्रिपुरा	टीएसईसीएल– सीजीआरएफ –I, सीजीआरए – II, टीएसईसीएल – सीजीआरएफ–III		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल–I एण्ड II, टीएसएनपीडीसीएल –I एण्ड II	4	1142	630	684	1095	638	183
26	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आज़मगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, फैज़ाबाद, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झांसी केईएससीओ कानपुर, कानपुर लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी	20	3626	3071	3077	3589	2171	3360
28	पश्चिम बंगाल	सौविकधारा	20	302	737	790	417	42	369

III. ओमबडसमैन की शिकायतों के निपटान की स्थिति

क्र.सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबडसमैन की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान ओमबडसमैन की बैठकों की संख्या
1	असम	1	1	2	1	2	1	4
2	आंध्र प्रदेश	1	0	52	52	0	0	37
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	92	15	34	73	62	170
5	छत्तीसगढ़	1	6	24	22	9	0	228
6	दिल्ली	1	15	33	32	16	5	44
7	गुजरात	1	74	121	123	72	6	175
8	हरियाणा	1	4	40	38	6	0	128
9	हिमाचल प्रदेश	1	6	10	6	10	10	7
10	झारखण्ड	1	8	3	4	7	4	102
11	;जेईआरसीएमएमद्ध मणिपुर एवं मिजोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	जेईआरसी गोवा एवं संघशासित प्रदेश	1	3	17	13	4	0	5
13	कर्नाटक	1	61	67	79	49	26	129
14	केरल	1	16	105	104	17	0	19
15	मध्य प्रदेश	1	115	17	19	113	108	196
16	महाराष्ट्र	2	181	187	204	164	4	251
17	मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

क्र.सं.	एसईआरसी/जेईआरसी का नाम	ओमबडसमैन की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान ओमबडसमैन की बैठकों की संख्या
18	नागालैंड	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
19	उड़ीसा	2	98	106	133	90	30	227
20	पंजाब	1	21	71	73	19	शून्य	93
21	राजस्थान	1	16	44	26	32	0	पूर्ण समय
22	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	तमिल नाडु	1	45	79	71	50	0	79
29	तेलंगाना	1	6	22	10	18	8	60
24	त्रिपुरा	1	8	11	12	7	3	44
25	तेलंगाना	1	26	36	39	30	7	134
26	उत्तराखण्ड	1	10	57	61	6	0	पूर्ण समय
27	उत्तर प्रदेश	1	675	268	395	548	372	122
28	पश्चिम बंगाल	2	211	108	191	148	82	83

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91-11-23753920 फैक्सः +91-11-23752958